नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 345, नई दिल्ली, शुक्रवार 13 फरवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जिस इंसान के पास आशा होती है, वह कभी पराजित नहीं होता है!

03 शिव रात्रि पर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय हैं

06 सुरक्षित डिजिटल भविष्य: सावधानी, शिक्षा और सशक्त निगरानी की जरूरत।

08 झारसुगुड़ा से फ्लाई ऐश लाकर बेलडीह क्षेत्र की जमीन पर डाला जा रहा - डॉ यादव

गाड़ी मालिक सावधान! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में पुरानी BS-III गाड़ियों पर सख्ती, जब्ती और स्क्रैपिंग तय

संजय कुमार बाठला

सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: प्रदूषण रोकने हेतु पुरानी गाड़ियां NCR से बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक निर्देश जारी करते हुए दिल्ली - एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि BS-III तथा उससे निचले मानक वाली एंड - ऑफ - लाइफ वाहनों का संचालन सार्वजनिक स्थानों पर वर्जित होगा।

दिल्ली परिवहन विभाग ने तत्काल सर्कुलर जारी कर मालिकों को चेतावनी दी है — एनसीआर से बाहर ट्रांसफर के लिए एनओसी लें या गाड़ी को तत्काल स्क्रैप कराएं, वरना बिना नोटिस जब्ती निश्चित।

प्रभावित गाड़ियां कौन-सी ? मुख्य बिंदु

डीजल गाड़ियां: 10 वर्ष से पुरानी (BS-III या निचले मानक वाली)।

पेट्रोल गाड़ियां: 15 वर्ष से पुरानी।

कार्रवाई: सार्वजनिक सड़कों/पार्किंग पर पकड़े जाने पर तत्काल जब्ती और स्क्रैपिंग।

विकल्प:

* एनसीआर बाहर ट्रांसफर हेतु एनओसी अनिवार्य; दिल्ली में रजिस्ट्रेशन रद्द।

* उद्देश्य: वायु प्रदूषण में 30% कमी, ग्रेप नियमों का कड़ाई से पालन।

तथ्य - बॉक्स: प्रभावित वाहनों का आकलन

1. डीजल वाहन आयु सीमा 10 वर्ष+ अनुमानित वाहन संख्या 8 लाख+ प्रदूषण योगदान 40% PM2.5

2. पेट्रोल वाहन आयु सीमा 15 वर्ष+ अनुमानित वाहन संख्या 12 लाख+ प्रदूषण योगदान 25% NOx

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश

* BS-III/निचली गाड़ियां NCR में वर्जित।

* जब्त वाहनों का स्क्रैपिंग अनिवार्य।

* राज्यों को 30 दिनों में अमल का आदेश।

जनहित में अपील:

* मालिक जागें, प्रदूषण पर लगाम लगाएं

* दिल्ली के लाखों गाड़ी मालिकों के लिए यह अंतिम चेतावनी है।

* परिवहन विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा — 'ऐसी गाड़ियों को पब्लिक जगहों पर चलाना/पार्क करना बंद करें।'

* सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 'हरित दिल्ली' अभियान को मजबूत करेगा, लेकिन मालिकों को तुरंत कदम उठाने होंगे।

* एनओसी प्रक्रिया सरल है — आरटीओ से संपर्क करें।

* अनदेखी पर भारी जुर्माना और स्क्रैपिंग से बचें।

* जनकल्याण सर्वोपरि है, प्रदूषण मुक्त दिल्ली हमारा संकल्प !

आरएनआई द्वारा अनुमोदित दो भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र "परिवाहन विशेष" के वार्षिक समारोह की घोषणा

"मार्च अंत या अप्रैल की शुरुआत"

आरएनआई द्वारा अनुमोदित हिंदी भाषा के दैनिक समाचार पत्र "परिवहन विशेष" के तीसरे वार्षिक समारोह और आरएनआई द्वारा अनुमोदित अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र "परिवहन विशेष" के पहले समारोह के विषय और थीम निम्नलिखित हैं:

"सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा"

एवम

"सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यरत समूहों को पुरस्कार"

एनएच-530बी को छह लेन का कोई प्रस्ताव नहीं: गडकरी का स्पष्ट संकेत, लेकिन क्षेत्रीय जरूरतें अनदेखी ?

संजय कुमार बाठला

सांसद का सदन में सवाल: बाईपास, मुआवजा और कनेक्टिविटी पर जोर

सांसद नीरज मौर्य ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। इनमें भमोरा - देवचारा के बीच प्रस्तावित संयुक्त बाईपास, आंवला तहसील के प्रभावित किसानों को मुआवजा, तथा भमोरा - आंवला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने हेतु सर्विस रोड और अंडरपास शामिल थे। यह प्रश्न क्षेत्रीय यातायात दबाव और किसान हितों को रेखांकित करते हैं।

मंत्री का उत्तर: चार लेन प्रगति पर, लेकिन छह लेन की कोई योजना नहीं

चार लेन निर्माण: किमी 179.500 से 218.000 तक कार्य प्रगति पर है।

बाईपास कार्य: भमोरा - देवचारा - खेड़ा संयुक्त बाईपास का निर्माण जारी।

मुआवजा स्थिति: 111.04 करोड़ स्वीकृत, जिनमें से 73.68 करोड़ वितरित; शेष राशि लंबित।

अंडरपास व स्लिप रोड: निर्माण की पुष्टि, लेकिन छह लेन विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि एनएच - 530बी (बरेली - मथुरा मार्ग) को छह लेन बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चुनौतियां बरकरार: मुआवजा विलंब और भविष्य की योजनाओं का अभाव हालांकि परियोजना प्रगति पर है, मुआवजा वितरण में देरी प्रभावित किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

व्यापक यातायात दबाव को देखते हुए अंडरपास - सर्विस रोड पर्याप्त नहीं; दीर्घकालिक छह लेन विस्तार की अनदेखी क्षेत्रीय विकास को प्रभावित कर सकती है।

जनहित में अपील: समयबद्ध मुआवजा और स्पष्ट रणनीति जरूरी सांसद नीरज मौर्य ने सही कहा कि सड़क अवसंरचना केवल निर्माण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा और भविष्य की यातायात जरूरतों हेतु राजमार्ग विस्तार की ठोस योजना आवश्यक है। सरकार को क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देकर दीर्घकालिक रणनीति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि बरेली - मथुरा कॉरिडोर की क्षमता बढ़े।

2027 से कमर्शियल वाहनों के लिए 'जीरो टेलपाइप एमिशन' अनिवार्य, NCR से पुराने वाहन चरणबद्ध हटाने की शिफारिश

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली समेत एनसीआर में हवा के साल भर प्रदूषित बने रहने के मद्देनजर पर्यावरण विशेषज्ञों ने एक सख्त रोडमैप तैयार किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा गठित 15 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अनुसार अगले पांच वर्षों में बीएस चार वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जबकि बीएस छह वाहनों को वर्ष 2040 तक सड़कों से हटाने का लक्ष्य रखा गया है।

व्यावसायिक वाहनों के लिए नियम सख्त : प्रदूषण में व्यावसायिक वाहनों की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए इस समिति ने सिफारिश की है कि अप्रैल 2027 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए व्यावसायिक दोपहिया वाहन और टैक्सियां 'जीरो टेलपाइप एमिशन' (जेडटीई) यानी इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले होने चाहिए। इसी तरह अप्रैल 2028 से दिल्ली और एनसीआर में पंजीकृत होने वाले हल्के मालवाहक वाहनों (पिकअप वैन, मिनी ट्रक) के लिए भी जेडटीई अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

इलेक्ट्रिक कारों पर जोर : समिति ने सिफारिश की है कि अप्रैल 2030 से केवल इलेक्ट्रिक कारों के पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, आम जनता को राहत देने के लिए, पैनल ने बीएस छह दोपहिया व कारों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 10 से 15 साल की अवधि का प्रस्ताव दिया है, ताकि हाल के वर्षों में इन्हें खरीदने वाले लोग प्रभावित न हों।

'राइट टू चार्ज' और रिमोट सेंसिंग : चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समिति ने "राइट टू चार्ज" के तहत कानूनी ढांचा स्थापित करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, पीयूसीसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रिमोट सेंसिंग उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। जिससे बिना वाहन रोके उसके उत्सर्जन की जांच हो सकेगी। समिति ने स्वच्छ वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए मालिकों को सब्सिडी देने की भी सिफारिश की है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html |
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार: भारत के आईटी नियमों (2026 संशोधन) में सुधार : साइबर अपराध रोकथाम में एक मजबूत कदम

पिंकी कुंडू

1. आईटी नियमों (2026) में प्रमुख सुधार 2026 में आईटी नियमों (2021) में किए गए संशोधन ने एआई-जनित कंटेंट और डीपफेक पर सख्त प्रावधान लागू किए हैं।* मुख्य सुधार इस प्रकार हैं:

A. एआई पारदर्शिता और पहचान

- "सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन (SGI)" की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसमें एआई या एल्गोरिदम से बनाए गए या बदले गए ऑडियो, वीडियो और चित्र शामिल हैं।

- सभी सिंथेटिक कंटेंट पर अनिवार्य लेबलिंग और स्थायी मेटाडेटा जोड़ना आवश्यक होगा।

B. अनिवार्य खुलासा और उपयोगकर्ता घोषणा

- प्लेटफ़ॉर्म को उपयोगकर्ताओं से यह घोषणा करवानी होगी कि अपलोड किया गया कंटेंट एआई-जनित है या नहीं।

- इससे नकली या भ्रामक सामग्री को असली दिखाकर फैलाने की संभावना कम होगी।

C. त्वरित प्रवर्तन समयसीमा

- संवेदनशील कंटेंट (गैर-सहमति वाली निजी सामग्री) हटाना: 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे।

- गैर-कानूनी कंटेंट हटाना: 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे।

- शिकायत निवारण: 15 दिन से घटाकर 7 दिन।

2. साइबर अपराध रोकथाम में लाभ

A. हानिकारक कंटेंट का त्वरित नियंत्रण

- 3 घंटे की समयसीमा से डीपफेक, धोखाधड़ी और मानहानि संबंधी सामग्री जल्दी हटाई जा सकेगी।

- पीड़ितों को तुरंत राहत मिलेगी और मानसिक व सामाजिक नुकसान कम होगा।

B. प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही

- सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर पहचान, लेबलिंग और हटाने की जिम्मेदारी तय की गई है।

- इससे धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और गलत सूचना फैलाने की संभावना घटेगी।

C. साइबर अपराधियों पर रोकथाम

- यह जानते हुए कि एआई-जनित कंटेंट तुरंत चिन्हित और हटाया जाएगा, अपराधियों का प्रेरणा स्रोत कमजोर होगा।

- डीपफेक का उपयोग कर ब्लैकमेल, फ़िशिंग या राजनीतिक दुष्प्रचार करना कठिन होगा।

D. उपयोगकर्ता विश्वास और सुरक्षा

- नागरिकों को भरोसा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म निगरानी और नियमन में हैं।

- एआई कंटेंट की पारदर्शी लेबलिंग से धोखाधड़ी और फेक न्यूज़ से बचाव होगा।

E. कानूनी और संस्थागत मजबूती

- त्वरित शिकायत निवारण से न्याय वितरण प्रणाली मजबूत होगी।

- मेटाडेटा से कंटेंट ट्रेस करने योग्य होगा, जिससे जांच और अभियोजन आसान होगा।

3. साइबर अपराध नियंत्रण पर रणनीतिक प्रभाव

- रोकथाम: अनिवार्य लेबलिंग से फर्जी पहचान और गलत सूचना कम होगी।

- संरक्षण: पीड़ितों को जल्दी सहायता मिलेगी।

- अभियोजन: मेटाडेटा और प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही से सबूत मजबूत होंगे।

- नीतिगत नेतृत्व: भारत एआई नियमन में वैश्विक मानक स्थापित करेगा।

निष्कर्ष आईटी नियमों (2026 संशोधन) ने साइबर शासन में नई दिशा दी है। गति, पारदर्शिता और जवाबदेही लागू कर भारत ने डीपफेक, सिंथेटिक मीडिया दुरुपयोग और साइबर अपराध के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत किया है। ये कदम न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता को भी बढ़ाते हैं, जिससे भारत जिम्मेदार एआई नियमन में अग्रणी बनता है।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

पिंकी कुंडू

पनीर की सब्जी अलग अलग स्वाद, एक बार खाओगे तो फिर हमेशा यही बनाओगे

सभी की विस्तृत रेसिपी नीचे लिखी हुई हैं

1. पनीर टिक्का मसाला

सामग्री: पनीर टिक्का के लिए:
- 250 ग्राम पनीर, क्यूब्स में कटा हुआ
- 1/2 कप दही
- 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
- 1/2 चम्मच जीरा पाउडर
- 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर
- 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
- 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर
- 1 बड़ा चम्मच बेसन
- नमक स्वादानुसार
- 2 बड़े चम्मच तेल

सामग्री, मसाला ग्रेवी के लिए:
- 2 बड़े चम्मच तेल
- 1 बड़ा प्याज, बारीक कटा हुआ
- 2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
- 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
- 1 बड़ा चम्मच टमाटर प्यूरी
- 1 बड़ा चम्मच क्रीम
- 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर
- 1 चम्मच जीरा पाउडर
- 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- नमक स्वादानुसार
- ताजा धनिया, बारीक कटा हुआ (गार्निश के लिए)

विधि:

1. पनीर टिक्का बनाने के लिए, एक बाउल में दही, नींबू का रस, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं।
2. इस मिश्रण में पनीर के क्यूब्स डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
3. एक पैन में तेल गरम करें और पनीर के क्यूब्स को सुनहरा होने तक तलें।
4. मसाला ग्रेवी बनाने के लिए, एक पैन में तेल गरम करें और प्याज, हरी मिर्च को भुनें।
5. अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और भुनें।
6. टमाटर प्यूरी और क्रीम डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
7. गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें और मिलाएं।
8. तले हुए पनीर के क्यूब्स को मसाला ग्रेवी में डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
9. गरम परोसें और ताजा धनिया से गार्निश करें।

परोसने का तरीका: पनीर टिक्का मसाला को गरम परोसें और नान, राइस या रोटी के साथ परोसें

2. लज़ीज़ स्वादिष्ट पनीर रजवाड़ी

सामग्री-

- 250 ग्राम पनीर (भारतीय पनीर)
- 2 बड़े प्याज, बारीक कटे हुए
- 2 लहसुन की कलियाँ, बारीक कटी हुई
- 1 बड़ा टमाटर, कटा हुआ
- 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट
- 1 छोटा चम्मच जीरा
- 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर
- 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
- 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1/2 छोटा चम्मच नमक
- 2 बड़े चम्मच मक्खन
- 2 बड़े चम्मच हैवी क्रीम
- 1 बड़ा चम्मच टमाटर प्यूरी
- सजाने के लिए ताज़ा हरा धनिया

निर्देश-

1. एक पैन में मक्खन गरम करें, जीरा डालें और उसे चटकने दें।
2. कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
3. कटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें; 1 मिनट तक पकाएँ।
4. कटे हुए टमाटर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। टमाटर के नरम होने तक पकाएँ।
5. टमाटर प्यूरी और हैवी क्रीम डालें और अच्छी तरह मिलाएँ।
6. पनीर के टुकड़े डालें और 5-7 मिनट तक या पनीर के स्वाद सोख लेने तक पकाएँ।
7. ताज़ा हरा धनिया डालकर नान या चावल के साथ परोसें!

3. मसालेदार पनीर अंगारा

सामग्री-
250 g पनीर
1 प्याज़ बारीक कटा हुआ
4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
5-6 लहसुन बारीक कटा हुआ
1 टुकड़ा अदरक बारीक काटा हुआ
3 टमाटर का पेस्ट
1/2 चम्मच जीरा
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच धनिया पाउडर
नमक स्वादानुसार
1 चम्मच मक्खन
2 चम्मच घी/ तेल
1/2 कप ताजा क्रीम
2 चम्मच पनीर मसाला
1 चम्मच टमाटर सॉस
1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी

विधि-

* एक कढ़ाई में बटर और घी/तेल डाल कर गरम करे I
* जीरा , बारीक कटा लहसुन और अदरक डाल के भुने।
* बारिक कटी हरी मिर्च मिला दे I अब प्याज़ डाल कर भूनेI
* प्याज भून जाने पर टमाटर का पेस्ट मिला दे और
* सभी सूखे मसाले, कसूरी मेथी, नमक मिला दे।
* पनीर मसाला और टमाटर सॉस भी मिला दे।
* कवर कर के 5 मिनट पकाये I
* क्रीम डाल कर कुछ देर और पकाएं।
* पनीर के टुकड़े मसाले में मिलाये I
* 1/2 कप पानी मिलाए और 2 मिनट ढक कर सारा मसाला पनीर मे मिलने तक पकाये I
* हरे धनिये से गार्निश करें I

4. पालक खड़ा मसाला

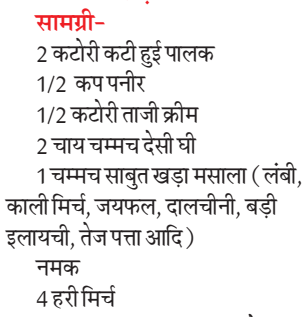

सामग्री-
2 कटोरी कटी हुई पालक
1/2 कप पनीर
1/2 कटोरी ताजी क्रीम
2 चाय चम्मच देसी घी
1 चम्मच साबुत खड़ा मसाला (लंबी, काली मिर्च, जयफल, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता आदि)
नमक
4 हरी मिर्च
1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
1/2 चम्मच जीरा
पनीर

रेसिपी -

* पैन में पानी गरम करें और पालक को 5 मिनट तक उबालें।
* अच्छे से ठंडे पानी से धोकर पालक और हरी मिर्च को मिक्सर में ब्लेंड कर लें।
* पैन में 1 चम्मच घी गरम करें खड़ा मसाला दाल दे.
* अदरक लहसुन का पेस्ट दाल पकाए..
* पालक पेस्ट डालें और अच्छे से मिक्स करें.
* 5 मिनट पकाए.
* मेश पनीर डालें और 5 मिनट और पकाए.
* नमक और ताज़ी क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएँ।
* 2 मिनट पकाएँ और गैस बंद कर दें...
* अलग पैन में 1 चम्मच घी गरम करें और जीरा डालें..
* 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और तड़का लगा दे।
* पनीर डाल के कुछ देर ढक दे। तैयार,

5. चटपटे मसालेदार छोले पनीर

सामग्री-

1 कप 8 -10 घंटे भीगा काबुली चना (छोले)
1 कप कटा हुआ पनीर
1 प्याज बारीक कटा हुआ
3 टमाटर
2 -3 हरी मिर्च
1 टुकड़ा अदरक
1 चम्मच जीरा
साबुत गरम मसाला
हींग
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच धनिया पाउडर
नमक स्वाद के अनुसार
1/2 चम्मच गरम मसाला
1/2 चम्मच चना मसाला
2 बडे चम्मच तेल
2 बडे चम्मच क्रीम
हरा धनियां

रेसिपी -

* छोले को 2 कप पानी, थोड़ा नमक के साथ 4-5 सिटी आने तक उबाल लें और
* गैस सिम पर 10 मिनट तक पकाएं।
* टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना ले I
* पैन में तेल गरम करें और जीरा, साबुत गरम मसाला और हिंग डालेI
* प्याज़ पकाए और हल्दी , मिर्ची और धनिया पाउडर ,चना मसाला मिला के पकाए।
* टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट मिला दे।
* तेल ऊपर आने तक मसाला पकाए और छोले मिला दे।
* 10 मिनट पकाए।
* पनीर और क्रीम मिलाए और 5 मिनिट ओर पकने दे।
* गरम मसाला, नमक मिला दे और हरे धनिये से गार्निश करे

6. बटर पनीर मसाला

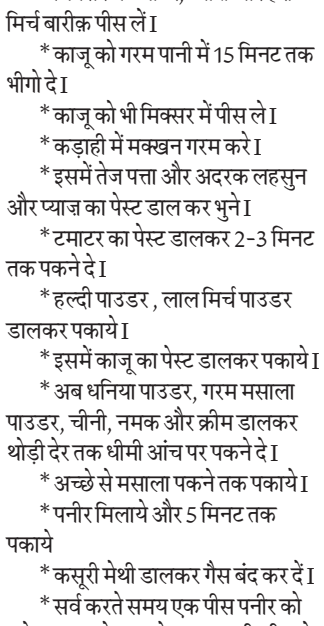

सामग्री-
200 ग्राम पनीर
2 बड़े चम्मच मक्खन
1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
1 तेज पत्ता
3 - 4 हरी मिर्च
2 टमाटर
1 प्याज
1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 चम्मच गरम मसाला
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
कटा हुआ हरा धनिया
1/2 कप काजू
1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम
नमक स्वादानुसार
1 छोटा चम्मच चीनी
1चम्मच कसूरी मेथी

विधि -

* मिक्सर में टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्च बारीक़ पीस लें I
* काजू को गरम पानी में 15 मिनट तक भीगो दे I
* काजू को भी मिक्सर में पीस ले I
* कड़ाही में मक्खन गरम करे I
* इसमें तेज पत्ता और अदरक लहसुन और प्याज़ का पेस्ट डाल कर भुने I
* टमाटर का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट तक पकने दे I
* हल्दी पाउडर , लाल मिर्च पाउडर डालकर पकाये I
* इसमें काजू का पेस्ट डालकर पकाये I
* अब धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चीनी, नमक और क्रीम डालकर थोड़ी देर तक धीमी आंच पर पकने दे I
* अच्छे से मसाला पकने तक पकाये I
* पनीर मिलाये और 5 मिनट तक पकाये
* कसूरी मेथी डालकर गैस बंद कर दें I
* सर्व करते समय एक पीस पनीर को तवे पर बटर से साथ सेक कर ताजी क्रीम से गार्निश करते हुए सर्व करें।

7. चटाखेदार पनीर की सब्जी - पनीर तूफ़ानी

सामग्री-
200 g पनीर
1 प्याज़
4 हरी मिर्च
5-6 लहसुन बारीक कटा हुआ

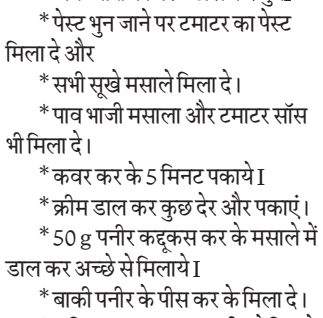

1 टुकड़ा अदरक बारीक काटा हुआ
3 टमाटर का पेस्ट
1/2 चम्मच जीरा
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच धनिया पाउडर
नमक स्वादानुसार
1 चम्मच मक्खन
2 चम्मच घी/ तेल
1/2 कप ताजा क्रीम
2 चम्मच पाव भाजी मसाला
1 चम्मच टमाटर सॉस

विधि

* एक कढ़ाई में बटर और घी/तेल डाल कर गरम करेI
* जीरा , बारीक कटा लहसुन और अदरक डाल के भुने।
* बारिक कटी हरी मिर्च मिला देI
* अब प्याज़ का पेस्ट डाल कर भुनेI
* पेस्ट भुन जाने पर टमाटर का पेस्ट मिला दे और
* सभी सूखे मसाले मिला दे।
* पाव भाजी मसाला और टमाटर सॉस भी मिला दे।
* कवर कर के 5 मिनट पकाये I
* क्रीम डाल कर कुछ देर और पकाएं।
* 50 g पनीर कद्दूकस कर के मसाले में डाल कर अच्छे से मिलाये I
* बाकी पनीर के पीस कर के मिला दे।
* 2 मिनट सारा मसाला पनीर मे मिलने तक पकाये I पनीर तूफानी तैयारI

8. स्वादिष्ट पालक पनीर

सामग्री -
200 g कटा हुआ पालक
200 g कटा हुआ पनीर
1 बारिक कटा प्याज़
2 बड़े चम्मच देसी घी /तेल
1 चम्मच साबुत खड़ा मसाला (लौंग, काली मिर्च, जायफल, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता आदि)
नमक स्वादानुसार
4 हरी मिर्च
1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
1/2 चम्मच जीरा
1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

रेसिपी -

* पैन में पानी गरम करें और पालक को 1 मिनट तक गरम पानी में डुबो के निकाल ले और ठंडे पानी में कुछ देर डुबो दे।
* पालक और हरी मिर्च को मिक्सर में ब्लेंड कर ले.
* पैन में 1 चम्मच घी गरम करें .
* खड़ा मसाला डाले .
* अदरक लहसुन का पेस्ट पकाए..
* बारिक कटा प्याज़ डाल कर पकाये.
* पालक पेस्ट डालें और अच्छे से मिक्स करें.
* 5 मिनट पकाए.
* पनीर डालें और 5 मिनट और पकाए.
* नमक डालें और अच्छे से मिलाएँ।
* 2 मिनट पकाएँ और गैस बंद कर दें
* अलग पैन में 1 चम्मच घी गरम करें और जीरा डालें..
* 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और पालक में तड़का लगा दें .पालक पनीर तैयार

9. मलाईदार पनीर महारानी

सामग्री-
- 250 ग्राम पनीर, क्यूब्स में कटा हुआ
- 2 बड़े प्याज, बारीक कटे हुए
- 2 लहसुन की कलियाँ, बारीक कटी हुई
- 1 बड़ा टमाटर, कटा हुआ
- 1 छोटा चम्मच जीरा
- 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर
- 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
- 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)
- 1/2 कप हैवी क्रीम या मलाई
- 1/4 कप मक्खन या घी
- स्वादानुसार नमक
- सजाने के लिए ताज़ा हरा धनिया

निर्देश-

1. एक पैन में मक्खन/घी गरम करें, जीरा डालें और उसे चटकने दें।
2. कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
3. कटा हुआ लहसुन डालें और एक मिनट तक भूनें।
4. कटे हुए टमाटर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर (अगर इस्तेमाल कर रहे हों) डालें। टमाटर के नरम होने तक पकाएँ।
5. पनीर के टुकड़े डालें और 2-3 मिनट तक पकाएँ।
6. गाढ़ी क्रीम/मलाई डालें और अच्छी तरह मिलाएँ। इसे 5-7 मिनट तक या ग्रेवी के गाढ़े होने तक धीमी आँच पर पकने दें।
7. स्वादानुसार नमक डालें।
8. ताज़ा हरा धनिया डालकर नान, चावल या रोटी के साथ परोसें।

199 बार रिजेक्ट होने के बाद, एक 15 साल के लड़के ने जान बचाने के लिए 26,000 गुना सस्ता पैंक्रियाटिक कैंसर टेस्ट बनाया

सिर्फ़ 15 साल की उम्र में, मैरीलैंड के एक टीनेजर ने एक बोल्ड आइडिया से मेडिकल की दुनिया को हिला दिया। पैंक्रियाटिक कैंसर से एक करीबी फैमिली फ्रेंड को खोने के बाद, वह एक सवाल से परेशान हो गया... यह बीमारी इतनी देर से क्यों पता चलती है? लिमिट मानने के बजाय, उसने रातें रिसर्च पेपर पढ़ने, ऑनलाइन बायोलॉजी सीखने और यह सोचने में बिताईं कि शुरुआती टेस्टिंग से जान कैसे बचाई जा सकती है।

उसकी रिसर्च उसे मेसोथेलिन नाम के एक प्रोटीन तक ले गई, जो अक्सर कैंसर के शुरुआती लक्षणों से जुड़ा होता है। सिंपल फिल्टर पेपर, कार्बन नैनोट्यूब और एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके, उसने एक डिपस्टिक-स्टाइल टेस्ट बनाया। यह तेज़ी से काम करता था, बहुत कम खर्चीला था, और स्टैंडर्ड तरीकों से छूटे हुए छोटे-छोटे ट्रेस का भी पता लगाता था... जिससे टेस्टिंग हज़ारों गुना सस्ती और कहीं ज़्यादा आसान हो गई।

सबसे मुश्किल हिस्सा साइंस नहीं था... बल्कि रिजेक्शन था। उसने लैब स्पेस के लिए 200 रिसर्चर्स को ईमेल किया और लगभग हर बार मना कर दिया। एक प्रोफेसर ने आखिरकार हाँ कह दिया। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। उनकी कहानी साबित करती है कि जिज्ञासा और लगन आज भी मायने रखती है। अगर मौका मिले तो क्या और युवा दिमाग हेल्थकेयर को बदल सकते हैं?

रेफरेंस:

स्मिथसोनियन मैगज़ीन: टीन इन्वेंटर ने शुरुआती पैंक्रियाटिक कैंसर टेस्ट बनाया

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी: यंग साइंटिफिक इनोवेटर्स को सपोर्ट करना

इंटेल ISEF: ग्रैंड प्राइज़ विनर प्रोफ़ाइल

नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट: पैंक्रियाटिक कैंसर का पता लगाने की चुनौतियाँ

TIME मैगज़ीन: कैसे एक टीन के आइडिया ने मेडिकल टेस्टिंग को बदल दिया।

सूरन कंदा के चमत्कारी फ़ायदे

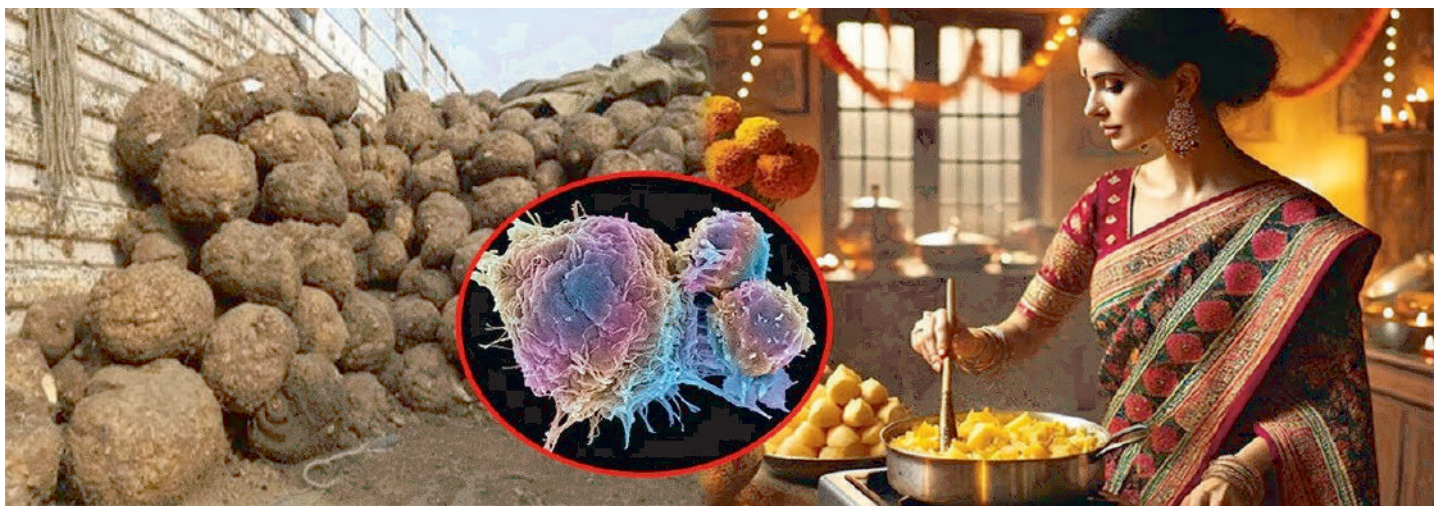

जड़ से होने वाली बीमारियों, अपच, ब्लीडिंग के घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे

पिंकी कुंडू

हमारी आयुर्वेदिक परंपरा में सूरन कंदा का बहुत खास महत्व है। "सूरन खाओ, तो पेट खराब नहीं होगा!" क्योंकि सूरन सिर्फ़ एक सब्ज़ी नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर एक नैचुरल प्रोडक्ट है।

आजकल के अनियमित खान-पान से होने वाली समस्याओं को हल करने में सूरन बहुत असरदार है

* जड़ की बीमारियाँ
* अपच
* शौच करते समय खून आना

सूरन क्या है? पोषण गुण

* सूरन (हाथी के पैर जैसा मीठा आलू) एक कंद वाली सब्ज़ी है जो मिट्टी में उगती है। इसमें मुख्य रूप से ये चीज़ें होती हैं -
* विटामिन C
* विटामिन B6
* फाइबर
* पोटैशियम
* कैल्शियम
* आयरन

सुरन

* पाचन को बेहतर बनाता है
* सूजन कम करता है
* आंतों से टॉक्सिन निकालता है
* गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत देता है

बवासीर और ब्लीडिंग के लिए सूरन का इस्तेमाल एनस के पास एक दर्दनाक गांठ, जो एक सूजी हुई नस होती है, बवासीर का एक कारण है। सूरन इसके लिए बहुत सही है।

घरेलू नुस्खे

* सूरन को छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें
* पैन में थोड़ा सा शुद्ध घी डालें
* टुकड़ों को हल्का सुनहरा भूरा होने तक तलें।
* सुबह और शाम सेवन करें

फायदे -

सूजन कम करता है
खून बहना रोकने में मदद करता है
मल त्याग को आसान बनाता है
शरीर हल्का महसूस होता है

पाचन सुधारने के लिए सूरन

* अपच
* गैस
* पेट फूलना
* लंगड़ापन

हेल्दी फाइबर और एंजाइम

* आंतों की सेहत सुधारता है
* टॉक्सिन निकालता है
* भूख बढ़ाता है इसे हफ्ते में 2-3 बार लें

आयुर्वेदिक तरीका आयुर्वेद के अनुसार, सूरन –

* वात-पित्त-कफ को बैलेंस करता है
* खून को साफ करता है
* मूल बीमारियों को कम करता है
* लिवर और पाचन को बेहतर बनाता

नेचुरल हेल्थ की ओर एक कदम केमिकल दवाओं के बजाय रोज़ाना नेचर ने एक बोल्ड सॉल्यूशन निकाला है।

सूरन जैसी सिंपल सब्ज़ी
* लंबे समय तक सेहत
* शरिया के हिसाब से नैचुरल इलाज

छोटा सा हल अगर मूल रोग, बदहज़मी या शौच के कारण खून आ रहा हो, तो
* सोने के टुकड़े
* घी में हल्का फ्राई करें
* सुबह और शाम को खाएं
* कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा।

हेल्थ ही असली दौलत है, शुगर-फ्री इंडिया की ओर एक कदम आगे

शिव रात्रि, शिव पूजन की विधि

पिंकी कुंडू

रुद्राक्ष धारणकर्ता को रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व शिव पूजन की प्रक्रिया अवश्य संपन्न करनी चाहिए। इससे रुद्राक्ष का फल कई सौ गुना बढ़ जाता है और वह शीघ्र फलदायी सिद्ध होता है। शिव पूजन करने के अनेक लाभ भी हैं। शिव पूजन के बाद ही विधि-विधान के साथ रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।

पत्र-पुष्प

1. कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख-पुष्प से भगवान शिव का पूजन करें। यदि इन एक लाख पुष्पों द्वारा शिव का पूजन संपन्न हो जाए तो सारे पापों का शमन होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

2. बीस कमलों का एक 'प्रस्थ' होता है तथा एक हजार बिल्वपत्रों का एक 'प्रस्थ' होता है। एक हजार शतपत्रों से आधे 'प्रस्थ' की परिभाषा की गई है।

3. सोलह पलों का एक प्रस्थ होता है और दस टंकों का एक पल-इसी मान से पत्र-पुष्प आदि तोलकर उपर्युक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव का पूजन किया जाता है ।तब सकामी पुरुष अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है।

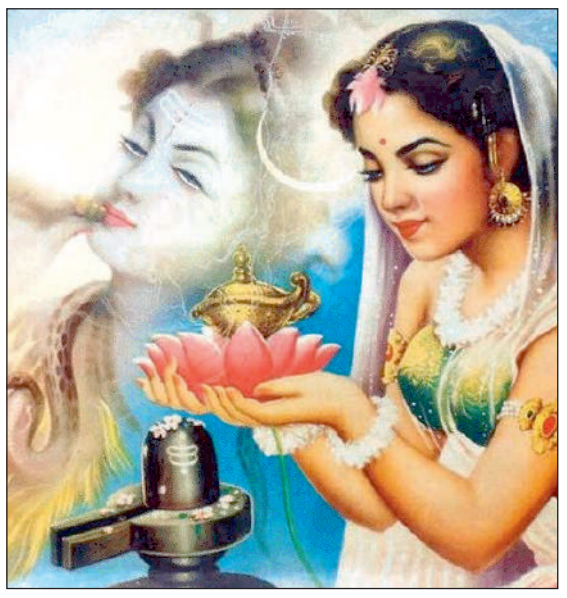

विभिन्न फलों की प्राप्ति हेतु शिव-पूजन निम्न प्रकार से करें -

1. यश-प्राप्ति हेतु अगस्त्य के एक लाख पुष्पों से पूजन करें।

2. भोग और मोक्ष की कामना वाले तुलसी से शिवाराधना करें।

3. लाल-सफेद आक, अपामार्ग और श्वेत कमल के एक लाख पुष्पों से शिव-पूजन करें।

4. पुत्र की इच्छा करने वाले धतूरे के पुजन करें।

5. बंधुक के पुष्पों से शिवजी का पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है

6. बेल के पुष्पों से पूजन करने से उत्तम चरित्र की शुभ गुना वाली पत्नी मिलती है।

7. जूही के पुष्पों से पूजन करने से घर में अन्य की कमी कभी नहीं होती है।

8. हरसिंगार के पुष्पों से पूजन करने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है।

9. चमेली के पुष्पों से पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।

10. अलसी के पुष्पों से शिव पूजन करने से वाहनों की प्राप्ति होती है।

शिव रात्रि पर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय हैं:

पिंकी कुंडू

1. शिव लिंग पर जल चढ़ानाः शिव रात्रि के दिन शिव लिंग पर जल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है।

2. रूढ़ और बेल पत्र चढ़ानाः शिव लिंग पर रूढ़ और बेल पत्र चढ़ाने से कर्ज का बोझ कम होता है।

3. शिव मंत्र जापः शिव रात्रि के दिन शिव मंत्र का जाप करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है।

4. कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थनाः शिव रात्रि के दिन शिव भगवान से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें।

5. दान और पुण्यः शिव रात्रि के दिन दान और पुण्य करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है।

6. शिव रात्रि के दिन कर्ज न लेनाः शिव रात्रि के दिन कर्ज न लेने से भविष्य में कर्ज से मुक्ति मिलती है।

शिव मंत्रः

"ओम नमः शिवाय"

या

"ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान्-मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्"

शिव रात्रि के दिन इन उपायों को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है।

महामृत्युंजय मंत्र की वैज्ञानिक शक्ति को जाने और जीवन सफल बनाए

पिंकी कुंडू

महामृत्युंजय मंत्र के अक्षरों का विशेष स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनी से शरीर में जो कंपन होता है उससे उच्च स्तरीय विद्युत प्रवाह पैदा होता है और वो हमारे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करने में मदद करता है।

ऊं हौं जूं सः ऊं भूर्भुवः स्वः ऊं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ऊं स्वः भुवः भूः ऊं सः जूं हौं ऊं

इस मंत्र के पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, पूरा स्वर सिद्धांत है। इसे संगीत का विज्ञान भी कहा जाता है।

महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ऊँ से होती है, और लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ ऊँ का उच्चारण किया जाए तो इससे

* शरीर में मौजूद सूर्य और चंद्र नाड़ियों में कंपन होता है।

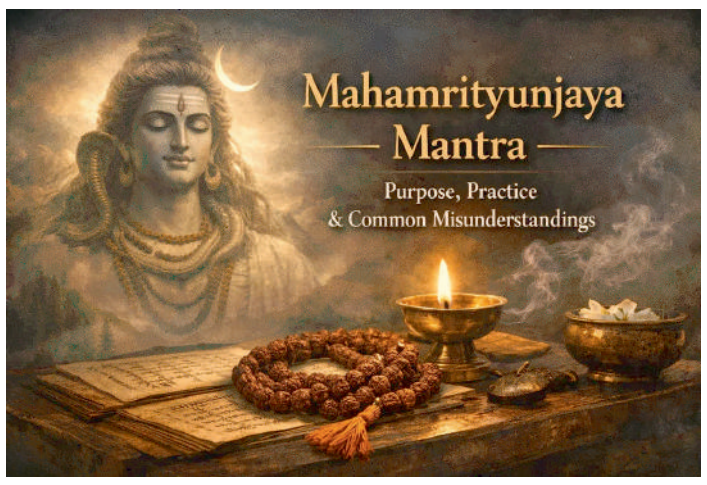

* हमारे शरीर में मौजूद सप्तचक्रों में ऊर्जा का संचार होता है।

* जिसका असर मंत्र पढ़ने वाले के साथ मंत्र सुनने वाले के शरीर पर भी होता है।

* इन चक्रों के कंपन से शरीर में शक्ति आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

इस तरह स्वर और सांस के तालमेल के साथ जाप करने पर बीमारियों से जल्दी मुक्ति मिलती है

महामृत्युंजय मंत्र के हर अक्षर का विशेष महत्व और विशेष अर्थ है। प्रत्येक अक्षर के उच्चारण में अलग-अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं तथा शरीर के विशेष अंगो और नाड़ियों में खास तरह की कम्पन पैदा करती हैं। इस कंपन के द्वारा शरीर से उच्च स्तरीय विद्युत प्रवाह पैदा होता है। इस विद्युत प्रवाह से निकलने वाली तरंगे वातावरण एवं आकाशीय तरंगो से जुड़कर कर मानसिक और शारीरिक उर्जा का शरीर में प्रवाह करती है ।

समुद्र मंथन पर देवताओं और असुरों की लड़ाई के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला मे इसी महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान का उपयोग देवताओं द्वारा मारे गए राक्षसों को जीवित करने के लिए किया था। इसलिए इसे मृत संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है।

कुंडली मे विवाह और विवाह के बाद अलगाव ज्योतिष चर्चा

पिंकी कुंडू

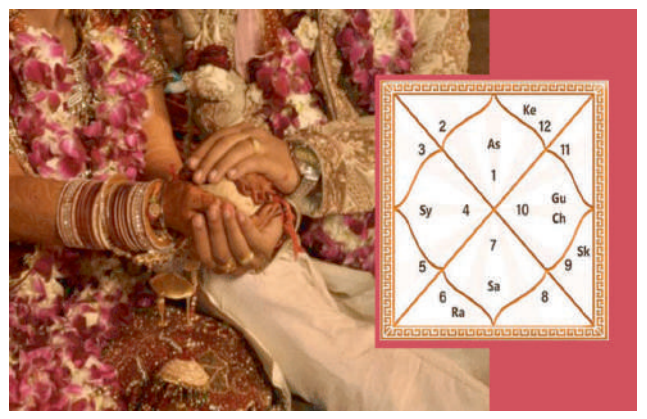

कुंडली में कई बार ऐसे योग बनते हैं जिन्हें देखकर पहला विचार यही आता है कि यह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सातवां भाव दबा हुआ है, चंद्र अस्थिर है, राहु की नज़र भी है और झगड़े भी कम नहीं हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि यह संबंध किसी भी मोड़ पर टूट सकता है। लेकिन समय गुजरता है, परेशानी आती है, दूरी भी बनती है, फिर भी रिश्ता वहीं खड़ा रहता है। यहीं से यह समझ आता है कि हर टूटने वाला योग वास्तव में टूटने के लिए नहीं होता।

ज्योतिष में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन कुंडलियों में संघर्ष के संकेत ज़्यादा होते हैं, वहीं टिकाव की ताकत भी छुपी होती है। जब छठे या आठवें भाव का संबंध सातवें भाव से जुड़ता है तो जीवनसाथी के बीच मतभेद स्वाभाविक हो जाते हैं। रोज़मर्रा की बातों पर तकरार होती है, मन खट्टा होता है, लेकिन यह तकरार रिश्ता तोड़ने की नहीं, बल्कि उसे झेलने की आदत सिखाने की होती है। ऐसा योग आरामदायक विवाह नहीं देता, पर चलने वाला विवाह ज़रूर देता है।

इन परिस्थितियों में गुरु की भूमिका बहुत चुपचाप काम करती है। गुरु जहां भी संबंध को देखता है, वहां अंतिम निर्णय टलते रहते हैं। गुस्सा आता है, मन अलग होने की सोचता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक रेखा खिंची रहती है जिसे पार करने का मन नहीं होता। यही गुरु का काम है। वह प्रेम नहीं बढ़ाता, वह समझ देता है। कई बार वही समझ रिश्ता टूटने से एक कदम पहले रोक लेती है।

राहु का असर ऐसे संबंधों में झगड़े को बढ़ाता है। बात छोटी होती है और बहस बड़ी बन जाती है। शक, गलतफहमी और अधूरी बातें मन में घूमती रहती हैं। राहु बेचैनी पैदा करता है, लेकिन अगर कुंडली में संतुलन देने वाले ग्रह साथ हों तो राहु केवल हिलाता है, उखाड़ नहीं पाता। इसी वजह से रिश्ते में तूफान आता है, पर जड़ें बनी रहती हैं।

जब बुध मजबूत होता है तो ऐसे योगों में सबसे बड़ा सहारा वही बनता है। चाहे जितना बिगाड़ हो जाए, बात करने की गुंजाइश बची रहती है। मन शांत होने के बाद संवाद लौट आता है। यही संवाद रिश्ते को बार-बार मरम्मत का मौका देता है। ऐसे विवाह टूटते नहीं, बल्कि हर झगड़े के बाद थोड़ा बदलकर आगे बढ़ते हैं।

यही कारण है कि कुछ कुंडलियों में योग किताब के हिसाब से कमजोर होते हुए भी जीवन में रिश्ता टिक जाता है। वहां विवाह का अर्थ सुख नहीं, सीख बन जाता है। वहां साथ रहना सहज नहीं होता, लेकिन अलग होना भी आसान नहीं लगता। ऐसे योग व्यक्ति को नहीं, रिश्ते को परिपक्व बनाते हैं।

ज्योतिष की असली समझ यहीं से शुरू होती है कि हर खराब दिखने वाला योग विनाश नहीं करता और हर अच्छा दिखने वाला योग सुख नहीं देता। कुछ योग टूटने के लिए नहीं, बल्कि थामने की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जब रिश्ता बार-बार बच जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि कुंडली में कोई ग्रह अब भी उसे पकड़कर खड़ा है। यही ग्रह योग को टूटने से बचा रहा है।

खराब ग्रहों के कारण नहीं मिलता दांपत्य सुख

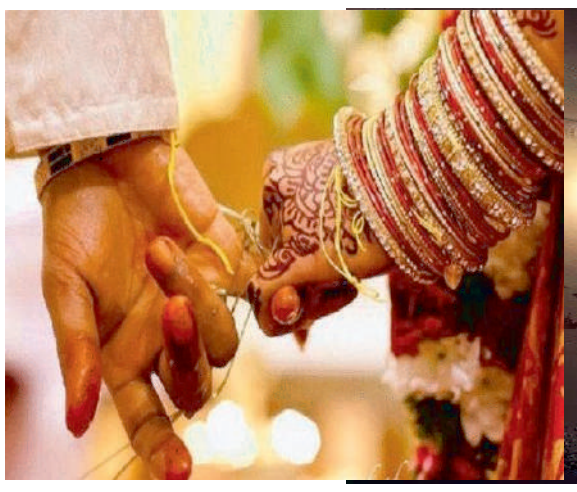

पिंकी कुंडू

सनातन धर्म में विवाह एक अति महत्वपूर्ण संस्कार है। वही सुखद और प्रेमपूर्ण दांपत्य का आधार है लेकिन प्रारब्ध कर्मानुसार व्यक्ति की जन्मपत्रिका में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप उसे दांपत्य सुख नहीं मिलता है। कलहपूर्ण दांपत्य अंत्यत कष्टप्रद और नारकीय जीवन के समान होता है। वैसे भी हर पुरुष सुंदर पत्नी और स्त्री धनवान पति की कामना करते हैं।

जीवन में किसी का साथ मनुष्य के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। कोई साथ हो या दांपत्य साथी अनुकूल हो तो हर तरह की परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है लेकिन यदि दांपत्य जीवन में दोनों में किसी एक व्यक्ति का व्यवहार यदि अनुकूल नहीं रहता है तो रिश्ते में कलह और परेशानियों का दौर लगा रहता है।

ज्योतिषशास्त्र में जातक की जन्म कुंडली को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके दांपत्य जीवन में कलह के योग कब उत्पन्न हो सकते हैं।

जन्मपत्री में दांपत्य-सुख का विचार सप्तम भाव और सप्तमेश से किया जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र भी दांपत्य-सुख का प्रबल कारक होता है क्योंकि शुक्र भोग-विलास और शैय्या सुख का प्रतिनिधि है। पुरुष की जन्मपत्रिका में शुक्र पत्नी का और स्त्री की जन्मपत्रिका में गुरु पति का कारक माना गया है। जन्मपत्रिका में द्वादश भाव शैय्या सुख का भाव होता है। अतः इन दांपत्य सुख प्रदाता कारकों पर यदि पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों और अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति आजीवन दांपत्य सुख को तरसता रहता है।

सूर्य, शनि, राहु अलगाववादी स्वभाव वाले ग्रह हैं, वहीं मंगल और केतु मारणात्मक स्वभाव वाले ग्रह हैं। ये सभी दांपत्य-सुख के लिए हानिकारक होते हैं। कुंडली में सप्त या सातवां घर विवाह और दांपत्य जीवन से संबंध रखता है। यदि इस घर पर पाप ग्रह या नीच ग्रह की दृष्टि रहती है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

यदि जातक की जन्मकुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो तो उसकी पत्नी शिक्षित, सुशील, सुंदर और कार्यों में दक्ष होती है, किंतु ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो दांपत्य जीवन में कलह और सुखों का अभाव बन जाता है।

यदि जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश स्थान स्थित मगंल होने से जातक को मंगली योग होता है इस योग के होने से जातक के विवाह में विलंब, विवाहोपरांत पति-पत्नी में कलह, पति या पत्नी के स्वास्थ्य में शिथिलता, तलाक और क्रूर मंगली होने पर जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती है।

जब जन्म-कुंडली के सातवें या सप्तम भाव में अगर अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह (शनि, केतु या मंगल) ग्रहों की दृष्टि हो तो दांपत्य जीवन में कलह के योग उत्पन्ना हो जाते हैं। शनि और राहु का सप्तम भाव होना भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है।

राहु, सूर्य और शनि पृथकतावादी ग्रह हैं, जो सप्तम (दांपत्य) और द्वितीय (कुटुंब) भावों पर विपरीत प्रभाव डालकर वैवाहिक जीवन को नारकीय बना देते हैं। यदि अकेला राहु सातवें भाव में और अकेला शनि पांचवे भाव में बैठा हो तो तलाक हो जाता है। किंतु ऐसी अवस्था में शनि को लग्नेश नहीं होना चाहिए। या लग्न में उच्च का गुरु नहीं होना चाहिए।

यदि लग्न में शनि स्थित हो और सप्तमेश अस्त, निर्बल या अशुभ स्थानों में हो तो जातक का विवाह विलंब से होता है और जीवनसाथी से उसका मतभेद रहता है। यदि सप्तम भाव में राहु स्थित हो और सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ छटे, आठवें या बारहवें भाव में स्थित हो तो जातक के तलाक की संभावना होती है।

यदि लग्न में मंगल हो या सप्तमेश अशुभ भावों में स्थित हो और द्वितीयेश पर मारणात्मक ग्रहों का प्रबाव हो तो पत्नी की मृत्यु के कारण व्यक्ति को दांपत्य सुख से वंचित होना पड़ता है। यदि किसी स्त्री की जन्मपत्रिका में गुरु पर अशुभ ग्रहों का प्रबाव हो, सप्तमेश पाप ग्रहों से युत हो और सप्तम भाव पर सूर्य, शनि और राहु की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री को दांपत्य सुख प्राप्त नहीं होता है।

ध्यान दें : यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां है तो उपाय के लिए सबसे पहले पति-पत्नी की कुंडली का मिलान करवाएं। दोनों जातकों की कुंडली का मिलान करके ही कोई अनुभवी ज्योतिषाचार्य आपको उपाय बता सकता है।

कई बार देखा गया है कि यदि पत्नी की कुंडली में यह दोष मौजूद है और पति की कुंडली अनुकूल है तो समस्या थोड़ी कम हो जाती है और इसी के उलट भी कई बार हो जाता है। लेकिन यदि दोनों व्यक्तियों की कुंडली में सप्तम भाव सही नहीं रहता है तो उस स्थिति में जीवन नारकीय बन जाता है। किसी भी परिस्थिति में कुंडली का मिलान समय से कराकर उपायों को अगर अपनाया जाए तो पीड़ा कम हो ।

आरती के बाद क्यों बोलते हैं कर्पूरगौरं मंत्र

पिंकी कुंडू

किसी भी मंदिर में या हमारे घर में जब भी पूजन कर्म होते हैं तो वहां कुछ मंत्रों का जप अनिवार्य रूप से किया जाता है, सभी देवी - देवताओं के मंत्र अलग - अलग हैं, लेकिन जब भी आरती पूर्ण होती है तो यह मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है।

"कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम।

सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।"

इस मंत्र से शिवजी की स्तुति की जाती है। इसका अर्थ इस प्रकार है :-

1. कर्पूरगौरं -कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले।

2. करुणावतारं - करुणा के जो साक्षात अवतार हैं।

3. संसारसारं - समस्त सृष्टि के जो सार हैं।

4. भुजगेंद्रहारम्- इस शब्द का अर्थ है जो सांप को हार के रूप में धारण करते हैं।

5. सदा वसतं हृदयाविन्दे भवंभावनी सहितं नमामि - इसका अर्थ है कि जो शिव, पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है।

मंत्र का पूरा अर्थ :- जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है।

यही मंत्र क्यो किसी भी देवी-देवता की आरती के बाद कर्पूरगौरम् करुणावतारं, मंत्र ही क्यों बोला जाता है, इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं।

* भगवान शिव की ये स्तुति शिव - पार्वती विवाह के समय विष्णु द्वारा गाई हुई मानी गई है।

* अमूमन ये माना जाता है कि शिव शमशान वासी हैं, उनका स्वरुप बहुत भयंकर और अघोरी वाला है। लेकिन, ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरुप बहुत दिव्य है।

* शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है, वे मृत्युलोक के देवता हैं, उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं (मनुष्य सहित) उन सब का अधिपति।

* ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है, वो हमारे मन में वास करे। शिव श्मशान वासी हैं, जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में शिव वास करें, मृत्यु का भय दूर हो।

आरती के बाद "कर्पूर गौरम करुणावतारं मंत्र का पाठ करने का कारण है कि

* यह श्लोक भगवान शिव की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप का स्तुति करता है।

* इसमें शिव को "कर्पूरगौरं" कहा गया है, जो कपूर के समान गोरा हैं, और "करुणावतारं" हैं, जो करुणा के अवतार हैं।

* यह श्लोक शिव-पार्वती के विवाह के समय भगवान विष्णु द्वारा गाया गया था, जिससे उनका अद्भुत स्वरुप दर्शाया जाता है। इसके अलावा,

* यह श्लोक भगवान शिव की उच्च महिमा को स्मरण करने के लिए बोला जाता है, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आराधना की जाती है।

* इसके माध्यम से भक्त शिव की पूजा और आराधना करते हैं, और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं।

कर्पूरगौरं मंत्र लाभ

* इस मंत्र का जप करने से शिव भक्त अपने मन को शुद्ध करते हैं, उनका मन शांत होता है और उन्हें आनंद और संतोष की अनुभूति होती है।

* इसके अलावा, यह मंत्र भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करने में सहायक होता है।

* अनेक धार्मिक अद्भुत कथाएं भी हैं जो इस मंत्र के जप की महत्ता को प्रमाणित करती हैं।

अधिकारी समाधान शिविर की हर शिकायत का समयबद्ध व संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित करें : डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल

परिवहन विशेष न्यूज

एक छत के नीचे सभी विभागों की शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लगाए जा रहे समाधान शिविर

झज्जर, 12 फरवरी। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का एक ही स्थान पर त्वरित समाधान करना है, जिससे सुशासन की अवधारणा को और अधिक मजबूती मिले।

स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में उपायुक्त नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई कर रहे थे। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित सात शिकायतें दर्ज की गईं। उपायुक्त ने सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक सोमवार और वीरवार प्रातः 10 से 12 बजे तक जिला मुख्यालय के साथ-साथ बहादुरगढ़, बेरी और बादली उपमंडल मुख्यालयों पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से प्रशासन आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों का निपटारा करते समय संबंधित नागरिक से संवाद अवश्य स्थापित करें तथा उन्हें विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत कराएं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शिकायतों का स्थायी समाधान भी सुनिश्चित होगा और नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होगा।

इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम अंकित कुमार चौकसे, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, सीटीएम नमिता कुमारी, डीआरओ मनबीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, एसीपी अनिल कुमार, सतेंद्र मंडल अध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

फोटो कैप्शन : झज्जर स्थित लघु सचिवालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर के दौरान आमजन की समस्याएं सुनते उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल।अधिकारी समाधान शिविर की हर शिकायत का समयबद्ध व संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित करें : डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल

एक छत के नीचे सभी विभागों की शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लगाए जा रहे समाधान शिविर

झज्जर, 12 फरवरी। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का एक ही स्थान पर त्वरित समाधान करना है, जिससे सुशासन की अवधारणा को और अधिक मजबूती मिले।

स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में उपायुक्त नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई कर रहे थे। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित सात शिकायतें दर्ज की गईं। उपायुक्त ने सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक सोमवार और वीरवार प्रातः 10 से 12 बजे तक जिला मुख्यालय के साथ-साथ बहादुरगढ़, बेरी और बादली उपमंडल मुख्यालयों पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से प्रशासन आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों का निपटारा करते समय संबंधित नागरिक से संवाद अवश्य स्थापित करें तथा उन्हें विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत कराएं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शिकायतों का स्थायी समाधान भी सुनिश्चित होगा और नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होगा।

इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम अंकित कुमार चौकसे, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, सीटीएम नमिता कुमारी, डीआरओ मनबीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर, एसीपी अनिल कुमार, सतेंद्र मंडल अध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

55 हजार 248 किसानों की बनी फार्मर आईडी, डिजिटल पहचान से सशक्त होंगे किसान, पीएम किसान सम्मान निधि हेतु फार्मर आईडी अनिवार्य : उपायुक्त

परिवहन विशेष न्यूज

डिजिटल एग्री स्टैक अभियान मिशन मोड में, शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश

झज्जर, 12 फरवरी। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित सभी कृषि योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा, इसलिए कोई भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से वंचित न रहे।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है और सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी भविष्य की कृषि व्यवस्था की मजबूत डिजिटल पहचान बनेगी। इसी आईडी के आधार पर किसानों को सब्सिडी, सरकारी योजनाओं, अनुदानों, फसल बीमा, ऋण सुविधाओं सहित विभिन्न सेवाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकेगा। बिना फार्मर आईडी के किसान इन लाभों से वंचित हो सकते हैं, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि एक भी पात्र किसान छूटने न पाए।

उपायुक्त पाटिल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी बनने से लाभार्थियों की पहचान अधिक सटीक होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक बिना

किसी बाधा के पहुंचेगा।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक कुल 55 हजार 248 किसानों की डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। ब्लॉकवार प्रगति के अनुसार बादली में छः हजार 364, बहादुरगढ़ में 12 हजार 764, बेरी में नौ हजार 726, झज्जर में 12 हजार 733, मातनहेल में नौ हजार 387 तथा सालावास में चार हजार 274 किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव विशेष कैंप आयोजित कर किसानों को फार्मर आईडी के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और मौके पर ही आईडी जनरेट की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि अभियान की गति प्रभावित न हो और अधिक से अधिक किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।

बीपीएल महिलाओं को मिलेगा चालक व आत्मरक्षा प्रशिक्षण: हरियाणा महिला विकास निगम ने मांगे आवेदन

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 12 फरवरी। हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकुला द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 21 दिवसीय चालक एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण बहादुरगढ़ (झज्जर) तथा रोहतक स्थित मारुति साजुकी ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित होगा।

निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण केवल हरियाणा की स्थायी निवासी बीपीएल महिलाओं/लड़कियों के लिए है। पात्रता के अनुसार आवेदिका की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाली आवेदिकाओं को वरीयता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवेदिका की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए (रंग दृष्टिहीनता न हो) और उसके पास वैध लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली या परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 1000 रुपये का वजीफा भी प्रदान किया जाएगा।

निगम ने कैथल, झज्जर, रोहतक और जींद जिलों की इच्छुक एवं पात्र महिलाओं/लड़कियों से 28 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी कॉलम सही प्रकार से भरकर तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित ई-मेल 1982hwdc@gmail.com, पंजीकृत डाक या संबंधित जिला कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र में दूरभाष नंबर, ई-मेल एड्रेस तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रपत्र संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

झज्जर के लिए जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम का कार्यालय 612, वार्ड नंबर-15, पुराने बस स्टैंड के पास स्थित है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01251-299560 या ई-मेल jhajjarhwdc@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

झज्जर में बिजली उपभोक्ता अदालत आज शुक्रवार (13 फरवरी) को

-बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का होगा निवारण

झज्जर, 12 फरवरी। उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आज 13 फरवरी शुक्रवार को बिजली अदालत व उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बिजली अदालत तथा उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक किया जाएगा।

यह अदालत फोरम के चेयरमैन एवं बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन सर्कल झज्जर की अध्यक्षता में होगी। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को झज्जर कार्यालय में सुना जाएगा। इस दौरान बिजली बिल, कनेक्शन और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़े परिवादों की समीक्षा की जाएगी।

यदि कोई उपभोक्ता कार्यकारी अभियंता या एसडीओ की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, तो वह चेयरमैन और अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपनी बात रख सकता है।

बीएनआई राइजिंग स्टार प्रतियोगिता में बाल भारती पब्लिक स्कूल सीपत का शानदार प्रदर्शन

आर्य चौरसिया बने 'राइजिंग स्टार ऑफ बिलासपुर', विद्यार्थियों ने संगीत व प्रतिभा मंच पर लहराया परचम

सुनील चिंचोलकर, सीपत/बिलासपुर। बीएनआई बिलासपुर के तत्वावधान में आयोजित प्रतिष्ठित 'राइजिंग स्टार' एवं 'बिलासपुर गॉट टैलेंट' प्रतियोगिता में बाल भारती पब्लिक स्कूल, सीपत के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। एकल गायन प्रतियोगिता में कक्षा सातवीं के छात्र आर्य चौरसिया ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति से निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा 'राइजिंग स्टार ऑफ बिलासपुर' के खिताब से सम्मानित हुए। वहीं कक्षा सातवीं के ही छात्र धैर्य तिवारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान अर्जित किया। बिलासपुर गॉट टैलेंट' श्रेणी में कक्षा पाँचवीं के छात्र अरिहंत ने कीबोर्ड वादन में उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय देते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही विद्यालय की छात्राएँ वरेण्या सिंह, अनिष्का सिंह एवं मीहिका ने भी कीबोर्ड वादन में सराहनीय सहभागिता कर प्रशंसा अर्जित की। विद्यालय की उपलब्धियों की श्रृंखला में कक्षा दूसरी के मेधावी छात्र आदित ढांडा ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 में आयोजित NSTSE ओलंपियाड परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर सातवाँ रैंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें मोमेंटो एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य शलभ निगम ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे उनके अनुशासन, निरंतर अभ्यास एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया। उन्होंने संगीत शिक्षक साईं गणेश राव के योगदान की विशेष सराहना की। इस उपलब्धि से विद्यालय परिसर में हर्ष और गर्व का माहौल व्याप्त है।

महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम

एक महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय आर्य युवक परिषद द्वारा पटेल नगर आर्य समाज नई दिल्ली में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर दिल्ली सरकार के सांसद बाँसुरी स्वराज पटेल नगर विधायक प्रवेश रत्न, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य आर्य समाज के सभी अध्यक्षों की उपस्थिति में समाज हित में कार्य करने वाले नागरिकों को भी अंग वस्त्र तथा प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संगठन सोनीपत के जिला संयोजक एवं केंद्रीय आर्य युवक परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप बत्रा को समाज सुधारक अवार्ड से सम्मानित किया गया।

माँ शारदे साहित्यिक मंच भोपाल द्वारा आयोजित कवितांजलि

परिवहन विशेष न्यूज

इंदौर - महोत्सव 2026 इंदौर में कार्यक्रम सफल रहा। जिसमें मुख्य अतिथि इंदौर के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय कवि मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति के सभापति सत्यनारायण शर्मा सतत्न जी विराजमान थे साथ ही कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि में सुप्रसिद्ध,कवि एवं हिन्दी साहित्य समिति के प्रभारी मंत्री हरेराम बाजपेयी जी, सुप्रसिद्ध कवयित्री नामिता नमन जी दीप्ति जी द्वारा सफल मंच संचालन किया गया करीब आठ राज्यों से आमंत्रित 70 कवि कवियित्री उपस्थित हुए और सभी एक से बढ़कर एक कविता की प्रस्तुति दी।माँ शारदे साहित्यिक मंच के संस्थापक राजू धाकड़ मि. सरल जी एवं समस्त कार्यकर्ता द्वारा बहुत ही उम्दा आयोजन जिसमें सभी कवि कवयित्री को सम्मानित किया गया। बैतूल की श्री मति दीपिका राजेश्वर रुखमांगद को (हिंदी रत्न सम्मान 2026) से श्री सत्यनारायण सत्तन शर्मा जी द्वारा सम्मानित किया गया।

अखिल भारतीय हड़ताल का रहा व्यापक असर

(भूपेंद्र सारस्वत 'सारथी')

बरेली में आज 12 फरवरी की अखिल भारतीय हड़ताल का खासा असर रहा। बैंक, बीमा, पी डब्लू डी, सिंचाई विभाग, आय कर आदि में हड़ताल के कारण काम प्रभावित हुआ कुछ बैंक शाखाओं के ताले भी नहीं खुले। जबकि बीमाकर्मी संघ की हड़ताल से बीमा में कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल का मुख्य कार्यक्रम रामपुर गार्डन स्थित यूनियन बैंक शाखा के समक्ष बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन द्वारा किया गया।

दस केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा आयोजित इस हड़ताल में बैंक बीमा पी डब्लू डी सिंचाई विभाग के साथ साथ स्थानीय स्तर पर एटक, एच एम एस इंकलाबी मजदूर केंद्र, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, मार्किट वर्कर्स एसोसिएशन, ऑटो टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन, बरेली कालेज कल्याण समिति, सेवानिवृत शिक्षक कर्मचारी संघ, नगर निगम बरेली सहित बड़े पैमाने पर नैतिक समर्थन दे रहे कर्मचारी संगठनों ने शिरकत की।

हड़ताल की सभा की अध्यक्षता करते हुए मुकेश सक्सेना ने बताया कि देशभर का 25 करोड़ से ज्यादा मेहनतकश केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से आक्रोशित है और हड़ताल में शामिल हुआ है।

यूनाइटेड फोरम बरेली के अध्यक्ष पीके माहेश्वरी ने कहा कि यू पी बैंक इम्प यूनियन ने बैंको में हड़ताल की घोषणा की थी और तमाम बैंको में कर्मचारी शाखा में नहीं गये कुछ शाखाओं में तो ताले तक नहीं खुल पाए वही अन्य बैंक यूनियन का नैतिक समर्थन है और काम बंद है। बीमा कर्मचारी संघ बरेली डिविजन की महामंत्री श्रीमती गीता शांत ने बताया कि बरेली डिविजन में संगठन के सभी सदस्य आज हड़ताल पर है। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध किया और कहा सरकार बीमा में सौ फीसदी विदेशी निवेश ला रही है जो एक जनविरोधी काम है

फेडेरेशन के उपाध्यक्ष अमीर खा ने बताया कि प्रांतीय आवाहन पर आज पी डब्ल्यू डी में व्यापक हड़ताल दिखाई दे रही है हम ठेकाकरण और संविदा प्रथा का विरोध कर स्थाई रिक्तियों को भरने की मांग करते हैं

हड़ताल स्थल पर रुक रुक कर सरकार विरोधी नारे लगते रहे,हड़ताल की यूनाइटेड फोरम के नवीन्द्र कुमार ने अपना नैतिक समर्थन दिया ,हड़ताली कर्मचारियों का जोश देखने लायक था सभा को सर्व श्री डॉ अंचल अहेरी, प्रवीण राठौर अरविंद देव सेवक, हरि शंकर, सलीम अहमद, मोहित देवल, रमीज अली हिमांशु, सुंदर सिंह, पवन कुमार संतोष कुमार, केसरी लाल, केपी सिंह मोहम्मद फैसल अफाक अहमद,आदि ने संबोधित किया।

बांग्लादेश चुनाव : लोकतंत्र बनाम कठमुल्लावाद बीच बांग्लादेश

डॉ घनश्याम बादल

इस बार 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश का आम चुनाव केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं वरन्वह दक्षिण एशिया के राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक घटना है।

यह चुनाव उस देश में हो रहा है जिसने पिछले दो दशकों में स्थिरता, विकास और दमन तीनों का स्वाद एक साथ चखा है। शेख हसीना युग के अंत, छात्र आंदोलनों की आग, सत्ता परिवर्तन, अंतरिम व्यवस्था और संवैधानिक बहसों के बीच यह चुनाव एक सीधा सवाल खड़ा करता है कि बांग्लादेश लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा इस्लामिक कट्टरता का रास्ता पकड़ेगा, सत्ता का चेहरा बदलेगा या चरित्र ? इससे भी बढ़कर वह जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर भी पाएगा या नहीं ?

छात्र आंदोलन के माध्यम से बुखार कर फेंक दिए जाने वाला शेख हसीना का शासन केवल सत्ता नहीं, एक पूरे राजनीतिक ढांचे का प्रतीक था। केंद्रीकरण, परिवारवाद, प्रशासनिक नियंत्रण और स्थिरता के बदले असहमति का दमन। आर्थिक विकास के आँकड़े भले प्रभावशाली रहे हों लेकिन लोकतांत्रिक स्पेस लगातार सिकुड़ता गया। विश्वविद्यालयों से लेकर मीडिया संस्थानों तक विरोध की आवाज़ें 'राष्ट्र विरोधी' करार दी जाने लगीं। यही कारण था कि 2024–25 के दौरान उभरा जन-आंदोलन केवल सरकार का विरोध नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ विद्रोह था। या दूसरे शब्दों में कहे तो वह उच्छृंखल हो रहे सत्ता तंत्र के खिलाफ एक क्रांति थी।

यह विद्रोह केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा; उसने व्यवस्था को हिला दिया। सत्ता बदली, अंतरिम सरकार बनी और 'जुलाई चार्टर-2025' जैसे सुधारवादी दस्तावेज़ सामने आए लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अंतरिम व्यवस्था लोकतंत्र की गारंटी नहीं होती। वह केवल संक्रमण की अवस्था होती है। संक्रमण या तो सुधार की ओर जाता है या फिर नए रूप के वर्चस्ववाद की ओर। 2026 का चुनाव इसी द्वंद्व की परिणति है। और यह बांग्लादेश के भविष्य का रोड मैप तय करेगा

राजनीतिक परिदृश्य में इस समय सबसे मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है जमात ए इस्लामी गठबंधन। यह गठबंधन केवल सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि वैचारिक पुनर्संरचना की कोशिश कर रहा है। जमात-ए-इस्लामी की सक्रिय भूमिका यह संकेत देती है कि धर्म आधारित राजनीति फिर से केंद्र में आने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि समाज के ध्रुवीकरण का दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। इसके समानांतर 'बांग्लादेश नेशनल पार्टी' जैसी शक्तियाँ लोकतांत्रिक सुधार, संस्थागत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की भाषा बोल रही हैं लेकिन संगठनात्मक मजबूती के अभाव में उनका प्रभाव सीमित दिखता है जबकि देश के सबसे प्रभावी राजनीतिक दल बांग्लादेश अवामी पार्टी को पहले ही चुनाव की रेस से बाहर कर दिया गया है

यह चुनाव दो धाराओं की टकराहट है। एक ओर सत्ता केंद्रित, गठबंधन आधारित,

पहचान-राजनीति; दूसरी ओर सुधारवादी, संस्थागत और नागरिक अधिकार आधारित राजनीति। लेकिन इतिहास बताता है कि भावनात्मक राजनीति अक्सर संस्थागत राजनीति पर भारी पड़ती है। यही कारण है कि वर्तमान राजनीतिक गणित जमात ए इस्लामी गठबंधन को बढ़त देता दिखाई दे रहा है। यदि यह गठबंधन सत्ता में आता है, तो वह केवल सरकार नहीं बनाएगा, बल्कि बांग्लादेश की वैचारिक दिशा भी बदलेगा। इससे भले ही वहां के अवाम के एक बड़े वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाए लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के आगे एक बड़ा प्रश्न वाचक चिन्ह भी लगने की पूरी आशंका है।

यह बदलाव केवल ढाका तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज दिल्ली, बीजिंग, वाशिंगटन और इस्लामाबाद तक सुनाई देगी। भारत-बांग्लादेश संबंधों का पूरा ढांचा शेख हसीना के दौर में विश्वास, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी पर टिका था। सीमा प्रबंधन, आतंकवाद निरोध, व्यापारिक गलियारे और कनेक्टिविटी परियोजनाएँ- इन सबकी नींव राजनीतिक विश्वास पर रखी गई थी। अब यदि सत्ता समीकरण बदलता है, तो यह विश्वास-संरचना कमजोर होगी।

यदि जमात ए इस्लामी सत्ता में आता है तो भारत के लिए तीन स्तरों पर चुनौती खड़ी होगी- रणनीतिक, सुरक्षा और कूटनीतिक। रणनीतिक रूप से चीन की भूमिका बढ़ेगी, क्योंकि नई सरकार बहुध्रुवीय संतुलन की नीति अपनाएगी ऐसा अंदेशा है। सुरक्षा स्तर पर सीमा प्रबंधन, कट्टरपंथी नेटवर्क और अवैध गतिविधियों का जोखिम बढ़ेगा। कूटनीतिक स्तर पर भारत-बांग्लादेश संबंध सहयोग से संतुलन की ओर खिसक सकते हैं। यानी 'रणनीतिक साझेदारी' से 'रणनीतिक प्रबंधन' की राजनीति।

लेकिन यह भी सच है कि आधुनिक राज्य केवल विचारधाराओं से नहीं चलते, हितों से चलते हैं। व्यापार, ऊर्जा, ट्रांजिट और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी भी सरकार को भारत से दूरी बनाकर चलना कठिन होगा। यही कारण है कि संभावित नई सरकार भले ही राजनीतिक बयानबाजी में तीखी हो, लेकिन नीतिगत स्तर पर पूर्ण टकराव की नीति अपनाना उसके लिए व्यावहारिक नहीं होगा।

भारत के लिए यह चुनाव एक कूटनीतिक परीक्षा है। अब नीति 'व्यक्ति-केंद्रित' नहीं, बल्कि 'संस्था-केंद्रित' होनी चाहिए। रिश्ते सरकारों से नहीं, राज्यों से बनाए जाते हैं। यही परिपक्व कूटनीति का सिद्धांत है। भारत को बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे, नागरिक समाज और संस्थानों के साथ संवाद बढ़ाना होगा, न कि केवल सत्ता संरचना के साथ।

प्रश्न यह नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि लोकतंत्र जीतेगा कट्टरवाद ? यदि यह चुनाव संस्थागत सुधार, न्यायिक स्वतंत्रता, मीडिया स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों की दिशा में ठोस कदम बनता है, तो यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक पुनर्जन्म की शुरुआत होगी।

12 फरवरी 2026 का चुनाव इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह केवल बांग्लादेश की तय नहीं करेगा कि यह राष्ट्र 'लोकतंत्र' को एक व्यवस्था मानता है या केवल एक प्रक्रिया। भारत के लिए भी यह चुनाव एक आईना है। क्षेत्रीय राजनीति में नैतिकता, हित और यथार्थवाद के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यह चुनाव दक्षिण एशिया के लोकतंत्र का तापमान मापने वाला थर्मामीटर सिद्ध होने जा रहा है और इस थर्मामीटर का परिणाम केवल ढाका में नहीं पढ़ा जाएगा- दिल्ली भी उसे ध्यान से पढ़ेगी।

इन चुनाव के परिणाम केवल पढ़े ही नहीं जाएंगे बल्कि बांग्लादेश की भविष्य की दशा दिशा और वहां के प्रगति एवं विकास की नई इमारत भी लिखेंगे प्रबल संभावना है कि इन चुनाव के साथ मोहम्मद यूनुस की विदाई हो जाएगी लेकिन यदि चुनाव परिणाम स्पष्ट नहीं रहे तो फिर बांग्लादेश में प्रतिवादी एवं कंजरवेटिव ताकतों में एक नए संघर्ष की शुरुआत भी हो सकती है।

मथुरा रेडियो से महाशिवरात्रि पर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी की हिन्दी वार्ता का प्रसारण 15 फरवरी को

वृन्दावन। नगर के प्रख्यात अध्यात्मविद व साहित्यकार 'यूपी रत्न' डॉ. गोपाल चतुर्वेदी की हिन्दी वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी के मथुरा-वृन्दावन केंद्र से 15 फरवरी 2026 को प्रातः 09 बजे से किया जाएगा। इस विषय में जानकारी देते हुए आकाशवाणी मथुरा-वृन्दावन केंद्र के कार्यक्रम निष्पादक ओपी सिंह ने बताया है कि ₹शिव का कल्याणक स्वरूप एवं महाशिवरात्रि₹ विषय पर प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी की हिन्दी वार्ता का प्रसारण 15 फरवरी 2026 को प्रातः 09 बजे से केंद्र द्वारा किया जाएगा।यह हिन्दी वार्ता 15 मिनट की होगी।जिसे सभी श्रोतागण आकाशवाणी के एफ.एम. चैनल पसंख्या 102.20 पर श्रवण कर सकते हैं।

कानपुर में लेम्बोर्गिनी से 6 लोगों को घायल करने का मामला : पैसे के बल पर नहीं बचा करोड़पति का बेटा, गिरफ्तार

सुनील बाजपेई

कानपुर। माना जाता है कि इस कलयुग में पैसा ही सब कुछ है और उसके बल पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन कानपुर में ऐसा नहीं हुआ। मतलब

अरबपति का पैसा कम नहीं आया और 5 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली लेम्बोर्गिनी कार से टक्कर मारकर आधा दर्जन लोगों को घायल करने उसके बेटे को आज गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि लेम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा को आज गुरुवार सुबह घर के सामने से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसे सूचना मिली थी कि आरोपी शिवम मिश्रा एंबुलेंस से भाग रहा है। लेकिन इसके पहले ही उसेगिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अरबपति शिवम पर जांच में सहयोग न करने और लगातार खुद को छिपाए रखने के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी के दौरान हाथ में वीगो लगाए शिवम बीमार भी नजर आया। इस बीच पुलिसवाले और रिश्तेदार उसे सहारा देते भी नजर आए। उसके साथ दिल्ली के एक फैमिली डॉक्टर लगे रहे। मेडिकल कराने के बाद पुलिस उसे ए जे सी एम कोर्ट लेकर पहुंचीं।

घटना के बारे में यह भी बतातेचलें कि अरबपतियों में सुमार तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा ने अपने इकलौते बेटे शिवम को बचाने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। घटनाक्रम के मुताबिक बीती 8 फरवरी को हादसे के तुरंत बाद पहले घटनास्थल से बेटे को हटवाया था। साथ ही मीडिया से बातचीत में बेटे शिवम द्वारा गाड़ी नहीं चलाने काभी दावा किया था। तुल पकड़ने पर सीएम योगी आदित्य नाथ ने भी अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुबीर ने भी कहा था कि गाड़ी कारोबारी का बेटा शिवम ही चला रहा था। जांच में इसकी पुष्टि हुई। कमिश्नर के इस बयान पर कारोबारी भड़क भी गए थे और उन्हें झूठा बता दिया था। यही नहीं अरबपति शिवम को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए जो रणनीति बना गई थी उसके तहत ही कल बुधवार को कानपुर कोर्ट में मोहन नाम का शख्स सरेंडर करने पहुंचा था। उसने दावा किया कि था कि हादसे के वक्त लेम्बोर्गिनी कार वह खुद यानी मोहन चला रहा था। लेकिन कोर्ट ने आरोपी नहीं मानते हुए ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी थी। फिलहाल अरबपति कारोबारी और पुलिस के बीच का यह मामला अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

इन्दौर में भी देशव्यापी हड़ताल का दिखा असर।

हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

इन्दौर में बीमा कर्मचारियों ने आज देशव्यापी हड़ताल में कर्मचारियों ने भाग लिया। केन्द्र सरकार की श्रमिक विरोधी जन-विरोधी नीतियों के विरोध में महाबंद में कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण, विनिवेश और श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे भारत में आज जोरदार विरोध

नई दिल्ली / भोपाल / इंदौर,

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघों के संयुक्त आह्वान पर देशभर के बीमा कर्मचारी एवं अधिकारी एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) सहित सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों के कर्मचारी ने भाग लिया। इस

हड़ताल का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में लागू की जा रही निजीकरण, विनिवेश और श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जनहित में आवाज़ बुलंद करना है।

हड़ताल के प्रमुख मुद्दे

LIC एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में विनिवेश की नीति तत्काल बंद की जाए।

बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति से सार्वजनिक बीमा संस्थानों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

स्थायी नियुक्तियों पर रोक और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग से सेवाओं की गुणवत्ता और कर्मचारियों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

भीषण स्टाफ की कमी के बावजूद नई भर्तियाँ नहीं की जा रही हैं, जिससे कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ रहा है।

लंबित वेतन संशोधन शीघ्र लागू किया जाए।

सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी बीमा योजनाओं को कमजोर करने की कोशिशें बंद की जाएँ।

श्रम कानूनों में किए जा रहे कर्मचारी विरोधी संशोधनों को वापस लिया जाए।

संघों का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ देश की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। इन्हें कमजोर करना न केवल कर्मचारियों बल्कि करोड़ों पॉलिसीधारकों और आम जनता के हितों पर सीधा हमला है।

बीमा कर्मचारी सरकार से मांग करते हैं कि वह इन जनविरोधी नीतियों पर पुनर्विचार करे और बीमा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संवाद का रास्ता अपनाए।

हड़ताल के दौरान देशभर में शाखाओं के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन, रैलियाँ और सभाएँ आयोजित की गई। उक्त जानकारी इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन के साथी श्री चंद्र शेखर चौहान, महासचिव द्वारा दी गई है

शीर्षक – डोरी विश्वास की

बहुत नाज़ुक है डोरी विश्वास की
बनाती ये रिश्तों को बेहद खास,
सजीव होते हैं दिलों के सब भाव
हो चाहे कितने दूर चाहे हो पास ।

कोई तो है मिला ईश्वर के जैसा
दिल में होता हैं ये प्यारा आभास,
दिल की जमीं और प्रेम की मिट्टी
सुख दु:ख का मिश्रित एहसास ।

सम्बन्धों की ये सुंदर सी बगिया
हर फूल जिसका होता हैं खास,
रंग रूप रचना हैं अलग-अलग
पर प्रेम भरी मनमोहक मिठास ।

अटूट होता हैं ये विश्वास का रिश्ता,
नहीं लेता कभी जीवन से संन्यास,
आत्मा का बेशकीमती ये अलंकरण
छवि जिसकी मस्त मौला सी बिंदास ।

दस्तक देती है द्वार पर खुशियाँ
उत्साह ₹आनंद₹ से भरी हर श्वास,
आखिरी घड़ियों तक इस रिश्तें का,
मन में होता ख़ुबसूरत इक निवास ।

– मोनिका डागा 'आनंद', चेन्नई, तमिलनाडु

पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल सदस्य चुनाव : अधिवक्ता सुनीता कल्सन ने भरा नामांकन

परिवहन विशेष न्यूज

चंडीगढ़। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा, चंडीगढ़ के आगामी चुनावों के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ तथा जिला एवं सत्र न्यायालय हिसार एवं हांसी की अधिवक्ता सुनीता कल्सन ने बुधवार को बार काउंसिल कार्यालय, चंडीगढ़ में अपना नामांकन पत्र विधिवत रूप से दाखिल किया।

नामांकन के अवसर पर हरियाणा के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता, विशेष रूप से हिसार एवं हांसी से अधिवक्तागण काफिले के रूप में चंडीगढ़ पहुंचे और अपना समर्थन व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा अधिवक्ता रजत कल्सन को उनके विरुद्ध सरकार द्वारा दर्ज किए गए झूठे व राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित मुकदमों के आधार पर नामांकन दाखिल करने से अयोग्य घोषित किया गया। इसके उपरांत अधिवक्ता रजत कल्सन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वे स्वयं चुनाव न लड़ते हुए अपनी जगह अपनी पत्नी अधिवक्ता सुनीता कल्सन को चुनाव मैदान में उतारेंगे, जिसके अंतर्गत उन्होंने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अधिवक्ता रजत कल्सन के समर्थकों ने बार काउंसिल कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ता सुनीता कल्सन को शुभकामनाएं दीं और चुनाव में सफलता की कामना की।

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कल्सन ने उपस्थित अधिवक्ता साथियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव अधिवक्ताओं के अधिकार, सम्मान और एकजुटता की लड़ाई है और सभी साथियों का एक-एक वोट ही इस संघर्ष को विजय की ओर ले जाएगा।

अधिवक्ता सुनीता कल्सन ने समस्त समाज एवं विशेष रूप से अधिवक्ता साथियों से प्रथम

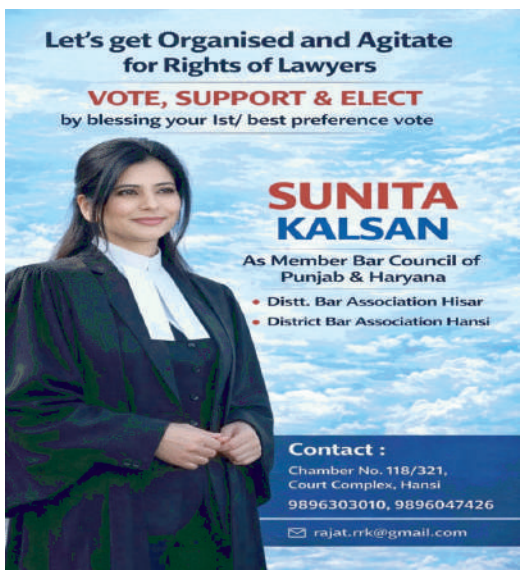

मेरा उद्देश्य मज़बूत, पारदर्शी और सशक्त बार काउंसिल की स्थापना है: शाहिद अली एडवोकेट

नेहरू गेस्ट हाउस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वकीलों की गरिमामय बैठक आयोजित

नई दिल्ली: नेहरू गेस्ट हाउस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वकीलों की एक गरिमामय बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली बार काउंसिल के उम्मीदवार शाहिद अली एडवोकेट ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र और भविष्य की कार्ययोजना का विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया।

शाहिद अली एडवोकेट ने कहा कि उनका उद्देश्य ऐसी मज़बूत, पारदर्शी और सशक्त बार काउंसिल की स्थापना करना है, जो प्रत्येक वकील के सम्मान, सुरक्षा और पेशेवर स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बार काउंसिल को वकीलों की समस्याओं के समाधान का वास्तविक मंच बनाया जाएगा, न कि केवल एक औपचारिक संस्था।

उन्होंने घोषणा की कि निर्वाचित होने की स्थिति में नए वकीलों को प्रारंभिक तीन वर्षों तक मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक दबाव से मुक्त होकर अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकें। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ वकीलों के लिए सम्मानजनक मानदेय योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

शाहिद अली ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, वकीलों के खिलाफ उत्पीड़न और झूठे मुकदमों की रोकथाम, तथा त्वरित कानूनी सहायता प्रणाली की स्थापना को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने वेलफेयर फंड में पारदर्शिता, आपातकालीन आर्थिक सहायता, तथा डिजिटल सुविधाओं जैसे ऑनलाइन लीगल डेटाबेस, ई-फाइलिंग प्रशिक्षण और मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करने का भी वादा किया।

कार्यक्रम में उपस्थित वकीलों ने उनके दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि बार काउंसिल को सक्रिय और जवाबदेह बनाना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अपने संबोधन के अंत में शाहिद अली एडवोकेट ने कहा कि एकजुट और जागरूक वकील समुदाय ही न्याय व्यवस्था को मजबूत बना सकता है, और वे इसी उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरे हैं।

विश्वास-अविश्वास

वर्तमान में कोई कितना भी क्यों
न हो करीब,
विश्वास न कर सकते चाहे
जितनी हो तारीफ़।
यूं साथ में भले ही कोई खाना खा
लें लजीज,
विश्वास की बात जब आये क्या
वो हैं अज़ीज़।

ये विश्वास की कमी समाज के
लिए है घातक,
जरूरी नहीं की सब करीबी कर
रहे हैं नाटक।
गर एक बार किसी पर भी हो
जाए अविश्वास,
अवसर दीजिए क्षमा करिए दृढ़
करों विश्वास।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

कब कटेगी सांसदों और विधायकों की पेंशन?

(बोझ हमेशा बुज़ुर्गों और आम परिवारों पर ही क्यों? नेताओं पर कब?)

— डॉ. सत्यवान सौरभ

सरकार जब भी आर्थिक अनुशासन, बजट संतुलन या खर्च घटाने की बात करती है, तो सबसे पहले निशाने पर सामाजिक पेंशन योजनाएँ आ जाती हैं। विशेष रूप से बुढ़ापा पेंशन को लेकर बार-बार समीक्षा, कटौती और पात्रता की शर्तें सख्त करने की चर्चाएँ सामने आती रही हैं। हालिया बयानबाजी ने एक बार फिर यह मूल सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आर्थिक सुधारों का भार हमेशा समाज के सबसे कमजोर वर्ग—बुज़ुर्गों, किसानों और मजदूर परिवारों—पर ही क्यों डाला जाता है?

बुढ़ापा पेंशन कोई सरकारी कृपा या रियायत नहीं है। यह उस सामाजिक अनुबंध का हिस्सा है, जिसमें राज्य यह स्वीकार करता है कि जिन नागरिकों ने अपनी पूरी उम्र देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में लगा दी, उन्हें बुढ़ापे में न्यूनतम सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। खेतों में पसीना बहाने वाले किसान, ईंट-भट्टों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी—इनमें से अधिकांश के पास न तो कोई पेंशन फंड होता है और न ही स्थायी बचत। ऐसे में बुढ़ापा पेंशन उनके लिए दवा, राशन और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का आधार बनती है।

इसके बावजूद जब भी सरकारी खजाने पर दबाव की बात आती है, तो सबसे आसान रास्ता बुज़ुर्गों की पेंशन पर कैंची चलाना मान लिया जाता है। कभी फसल का बहाना, कभी ज़मीन का रकबा, कभी पारिवारिक आय और कभी बैंक खाते की तकनीकी खामियाँ—इन सब कारणों से हजारों पात्र बुज़ुर्ग पेंशन से वंचित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रशासनिक कम और अमानवीय अधिक प्रतीत होती है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि फसल, ज़मीन और आमदनी की ये सख्त कसौटियाँ केवल आम नागरिकों पर ही क्यों लागू होती हैं? क्या यही मानक विधायकों और सांसदों की पेंशन पर भी लागू होते हैं? क्या कभी यह जाँच की जाती है कि जनप्रतिनिधियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है और उन्हें पेंशन की आवश्यकता है भी या नहीं?

वास्तविकता यह है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाएं उस वर्ग को प्राप्त होती हैं जो पहले से आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित है। कई विधायक और सांसद एक से अधिक बार निर्वाचित होने के बाद कई-कई पेंशन के हकदार बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें वेतन, भत्ते, सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा और अन्य विशेष सुविधाएँ भी मिलती हैं। इसके बावजूद इन पेंशनों पर न तो कोई स्पष्ट सीमा तय है और न ही इस पर गंभीर सार्वजनिक बहस होती है।

यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समानता है—नीति और कानून सबके लिए समान होने चाहिए। यदि आम नागरिक से उसकी मामूली आय का हिसाब माँगा जा सकता है, तो जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं? यदि बुज़ुर्ग किसान की दो बीघा ज़मीन के आधार पर उसकी पेंशन रोकी जा सकती है, तो करोड़ों की संपत्ति वाले नेताओं की पेंशन पर सवाल क्यों नहीं उठते?

सरकार अक्सर यह तर्क देती है कि सामाजिक योजनाओं में अपात्र लोग शामिल हो जाते हैं, इसलिए सख्ती आवश्यक है। यह तर्क आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसका समाधान यह नहीं हो सकता कि जरूरतमंदों को ही व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए। अपात्रता की आड़ में पात्र लोगों को दंडित करना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

यदि सरकार वास्तव में पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी और टिकाऊ बनाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ खर्च और सुविधाएं सबसे अधिक हैं। विधायकों और सांसदों की पेंशन पर स्पष्ट सीमा तय करना, बार-बार चुनाव जीतने पर अलग-अलग पेंशन देने की व्यवस्था समाप्त करना और एक समान पेंशन नीति लागू करना इस दिशा में एक ठोस कदम हो सकता है।

यह भी समझना ज़रूरी है कि सामाजिक पेंशन पर किया गया खर्च कोई बोझ नहीं, बल्कि निवेश है। बुज़ुर्गों के हाथ में थोड़ी-सी आर्थिक सुरक्षा न केवल उन्हें सम्मानजनक जीवन देती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देती है। यह राशि सीधे बाज़ार में जाती है—दवा की दुकानों, किराना स्टोरों और स्थानीय सेवाओं में खर्च होती है। इसके विपरीत, पेंशन बंद होने का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कहीं अधिक नकारात्मक होता है।

लोकतंत्र में नीतियों का उद्देश्य कमजोर को मजबूत बनाना होना चाहिए, न कि मजबूर को और कमजोर करना। जब बुज़ुर्गों से उनकी आखिरी आर्थिक सहायता भी छीन ली जाती है, तो यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि एक गंभीर नैतिक प्रश्न बन जाता है। क्या एक सभ्य समाज अपने बुज़ुर्गों को इस तरह असहाय छोड़ सकता है?

अंततः सवाल केवल पेंशन का नहीं, बल्कि नीति की प्राथमिकताओं का है। क्या सरकार का ध्यान सबसे कमजोर नागरिकों पर है या सबसे सुविधासंपन्न वर्ग पर? जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक पेंशन पर कटौती का मुद्दा एक आर्थिक बहस से अधिक, सामाजिक अन्याय का प्रतीक बना रहेगा।

सुरक्षित डिजिटल भविष्यः

सावधानी, शिक्षा और सशक्त निगरानी की जरूरत

-सुनील कुमार महला

अदालत ने इसे केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक खतरा बताते हुए सरकार और एजेंसियों को इससे सख्ती से निपटने की जरूरत पर जोर दिया है।इस क्रम में हाल ही में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए हैं।

आजएआई का दौर है, सूचना क्रांति का युग है,जहाँ मशीनें मनुष्य सोच को नई उड़ान देती हैं।सच तो यह है कि आज के समय में ज्ञान, काम और रचनात्मकता सब बदल रहे हैं।दूसरे शब्दों में कहें तो मानव और तकनीक मिलकर भविष्य गढ़ रहे हैं।वास्तव में यह युग है नवाचार, गति और असीम संभावनाओं का, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) ने जहां रचना और सूचना प्रसार को नई गति दी है, वहीं इसके दुरुपयोग भी गंभीर चिंता पैदा कर रखी है। यहां यदि हम सरल शब्दों में कहें तो डीपफेक वीडियो, नकली तस्वीरें और एआई से बनी झूठी सामग्री लोगों को धोखा दे रही हैं और उनकी बदनामी भी कर रही हैं। इससे साइबर ठगी बढ़ रही है और समाज में भ्रम फैल रहा है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि साइबर ठगी पर हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि यह एक गंभीर और तेजी से बढ़ता अपराध है, जो आम लोगों की मेहनत की कमाई और भरोसे दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। अदालत ने इसे केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक खतरा बताते हुए सरकार और एजेंसियों को इससे सख्ती से निपटने की जरूरत पर जोर दिया है।इस क्रम में हाल ही में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा तैयार हर फोटो, वीडियो पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई गलत, गैर-कानूनी वीडियो या फोटो डाली जाती है, तो कंपनियों को उसे सूचना मिलने के सिर्फ तीन घंटे में हटाना होगा। गौरतलब है कि सरकार ने डीपफेक और एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यह नए नियम 20 फरवरी से लागू होंगे। उल्लंघन करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई एवं जुर्माना लग सकता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी 2026 मंगलवार को सभी विभागों को यह निर्देश दिया कि लोगों को साइबर धोखाधड़ी से

बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सभी बैंक, आई4सी, विभाग सामूहिक प्रयास करें, ताकि ठगों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इतना ही नहीं,केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने आरबीआई और गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए म्यूल अकाउंट हंटर ऐप को सभी बैंकों को अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने सीबीआई द्वारा गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के सहयोग से आयोजित सम्मेलन के दौरान यह बात कही है कि देश में हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति साइबर ठगों का शिकार बन रहा है। प्रति घंटे औसतन सौ लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वर्ष 2021 में जहां 52 हजार शिकायतें थीं, वहीं अब यह संख्या 86 हजार हो गई है।गृह मंत्री ने कहा, जितनी तेजी से डिजिटल लेनदेन बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से जोखिम बढ़ा है। पहले यह 'लोन वुल्फ अटैक' हुआ करता था, अब यह संगठित अपराध के रूप में सामने आ रहा है। अपराधी नई तकनीक अपना रहे हैं, इसलिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। गौरतलब है कि इस क्रम में यानी कि साइबर सुरक्षा के मद्देनजर 12 लाख सिम कार्ड भी रद्द किए गए हैं।इस दौरान श्री शाह ने 1930 के कॉल सेंटर पर पर्याप्त संख्या में कॉल हैंडलर तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि साइबर धोखाधड़ी के विभिन्न खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आईटी नियम, 2021 में जो नया बदलाव किया है, वह इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक जरूरी और सही व सकारात्मक कदम है। जैसा कि इस आलेख में ऊपर भी चर्चा कर चुका हूं कि आगामी 20 फरवरी से लागू होने जा रहे इन नियमों के तहत अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) से तैयार किए गए फोटो और वीडियो पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फेक कंटेंट को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर मात्र तीन घंटे कर दी गई है। बहुत अच्छी बात यह है कि नए प्रावधानों के तहत एआइ कंटेंट में स्थायी मेटाडेटा और डिजिटल पहचान चिह्न जोड़ने की अनिवार्यता भी तय की गई है, ताकि ऐसे कंटेंट की पहचान आसानी से की जा सके। यह बदलाव डिजिटल पारदर्शिता और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। नए नियमों का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब एआइ से बने कंटेंट को छिपाना आसान नहीं रहेगा। वास्तव में, डिजिटल सामग्री पर सही लेबल और पहचान चिह्न होने से आम आदमी यह समझ सकेगा कि जो वह देख रहा है, वह असली है या तकनीक से बनाई गई है। इससे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें और झूठी खबरें कम होंगी। खासकर चुनाव, सामाजिक मुद्दों और संवेदनशील घटनाओं के समय यह लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।लेकिन सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है।यह भी बहुत ही ज़रूरी व आवश्यक है कि उन्हें सख्ती से पूरे देश में लागू भी किया जाए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं और कंटेंट की मात्रा भी बहुत बड़ी है। यहां यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंटेंट का दायरा तेज़ी से फैल चुका है।देश में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूज़र हैं और स्मार्टफोन के ज़रिये डिजिटल खपत लगातार बढ़ रही है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर करोड़ों सक्रिय यूज़र रोज़ाना वीडियो, रील्स, न्यूज़, पॉडकास्ट और शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो बाज़ारों में गिना जाता है, जहाँ औसतन एक यूज़र दिन में कई घंटे डिजिटल कंटेंट पर बिताता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म (नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार आदि) के सब्सक्राइबर भी करोड़ों में हैं, जबकि डिजिटल न्यूज़, क्रिएटर इकॉनमी और लोकल-भाषा कंटेंट की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ी है। कुल मिलाकर, भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म आज सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और रोज़गार-चारों के लिए एक मज़बूत आधार बन चुके हैं। इसलिए मजबूत तकनीकी निगरानी, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करना और नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। अगर नियमों को हल्के में लिया गया, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा।इसके साथ ही नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। लोगों को यह समझना होगा कि हर वायरल वीडियो या तस्वीर सत्य नहीं होती। जागरूक उपयोगकर्ता ही फेक कंटेंट की श्रृंखला को तोड़ सकता है। सरकार, सोशल मीडिया कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। भ्रमजाल फैलने से रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों के साझा प्रयासों की दरकार है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर यही कहूंगा कि डिजिटल तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ-साथ डिजिटल धोखाधड़ी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। फर्जी कॉल, फ़िशिंग लिंक, नकली ऐप, साइबर ठगी और डेटा चोरी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और भरोसे पर पड़ता है। यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि जागरूकता, कानून और साइबर सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। जब तक उपयोगकर्ता सतर्क नहीं होंगे, डिजिटल साक्षरता नहीं बढ़ेगी और नियमों का सख़्ती से पालन नहीं होगा, तब तक इस खतरे पर पूरी तरह अंकुश लगाना मुश्किल है। इसलिए सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए सावधानी, शिक्षा और मजबूत निगरानी तंत्र तीनों अनिवार्य हैं।

जाति, न्याय और लोकतंत्र : एक असहज सच्चाई

(आलेख : राजेंद्र शर्मा)

आखिरकार, हिमांत बिश्वशर्मा ने और अकेले विश्व शर्मा ने ही नहीं, उनके नेतृत्व में भाजपा की असम इकाई ने भी, भारतीय संविधान को खुली चुनौती दे ही दी। भाजपा के आधिकारिक हैंडल से प्रसारित एक वीडियो संदेश में, बिश्वशर्मा हाथों में तरह-तरह की बंदूकें/ पिस्तौलें लिए, अमरीकी फिल्मों के कॉउबाय की मुद्राओं में प्रकट ही नहीं हुए, वह अपने हथियारों से गोलियां दागते हुए दिखाई भी दिए। याद रहे कि बंदूकों के साथ अपने गीतों को फिल्माने के लिए ही पंजाब में तथा अन्यत्र कई गायकों को हिंसा को बढ़ावा देने की धाराओं में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इस "गन कल्चर" को एक गंभीर खतरे की तरह चित्रित किया जाता रहा है। लेकिन, भाजपायी मुख्यमंत्री हिंसा के जरिए अपनी "मर्दानगी" के प्रदर्शन तक ही नहीं रुके। इससे आगे बिश्वशर्मा ने, फासीवादी नरसंहार का मॉडल पेश करने के रास्ते पर लंबी छलांग लगायी है। बिश्वशर्मा ने सीधे जिंदा लोगों पर निशाना लगाया। और निशाने का चुनाव उनकी "मर्दानगी" के वास्तविक चरित्र का पूरी तरह से खुलासा कर देने वाला था। निशाने पर जो दो लोग नजर आते हैं, वेशभूषा से साफ तौर पर मुसलमान हैं -- एक अपेक्षाकृत युवा और एक अधेड़। शर्मा निशाना साधकर गोली दागते नजर आते हैं। और भाजपायी वीडियो खुशी से एलान करता है -- पाइंट ब्लैंक! किसी टिप्पणीकार ने ध्यान दिलाया कि पाइंट ब्लैंक के फायर से संघ परिवार का नाता पुराना है। जनवरी 1948 में जब गोडसे की पिस्तौल से निकली तीन गोलियों ने महात्मा गांधी की जान ली थी, वह फायर भी पाइंट ब्लैंक का बताया गया था।

स्वाभाविक रूप से, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार के इस तरह के खुले आह्वान पर, मुख्यधारा के मीडिया पर संघ-भाजपा के पूर्ण नियंत्रण के बावजूद, काफी हो-हल्ला मचा। अन्य चीजों के अलावा इस पर भी तीखी टिप्पणियां आयीं कि शर्मा के नेतृत्व में असम भाजपा द्वारा उक्त वीडियो विज्ञापन ठीक उस समय जारी किया गया था, जब उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी 65 फीसद से अधिक मुस्लिम आबादी वाले और घोषित रूप से इस्लामी राज्य, मलेशिया की मेहमान नवाजी का आनंद ले रहे थे, जिसमें रामकथा की कठपुतली प्रस्तुति समेत, हिंदू परंपराओं के अनेक तत्वों से लेकर, तमिल भाषा व संस्कृति के अनेक तत्वों के साथ मलेशियाई जनता के जिंदा रिश्तों के प्रदर्शन भी शामिल थे। परदेश में मोदी मुस्लिम नेताओं को गले लगा रहे थे और भारत में उनकी डबल इंजन सरकार का असम का डिब्बा, मुसलमान की पहचान कर, पाइंट ब्लैंक से फायर कर रहा था! निंदा के इन स्वरों को अपने अनुमान से ज्यादा तेज होता देखकर, असम भाजपा ने अपने हैंडल से उक्त विज्ञापन वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन, यह तभी किया गया, जब पहले यह सुनिश्चित कर लिया गया कि लाखों संघ-भाजपा समर्थक, इस वीडियो को देख चुके थे और आगे शेयर करने की श्रृंखलाएं शुरू कर चुके थे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि संघ-भाजपा ने खंडन-मंडन के इस तरह के धतकर्म में खूब महारत हासिल कर रखी है। किसी उकसावेपूर्ण सांप्रदायिक और इसलिए संविधान पर चोट करने वाले "संदेश" को हवा में उछाल कर, इसकी थाह लेना कि संविधान की रक्षा करने वाली ताकतों में इस पर कैसी तथा कितनी प्रतिक्रिया होती है और फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि उक्त "संदेश" उसकी कतारों तक फैल जाए, रस्मी तौर पर उस संदेश को "वापस" ले लेना या उसका खंडन कर देना, उनका जाना-पहचाना खेल है। और इस खेल के बाद हर बार, सांप्रदायिक संदेश की नग्नता की सीमा को आगे बढ़ाया जा रहा होता है। इस खेल में बिश्वशर्मा के नेतृत्व में असम भाजपा, सत्ताधारी पार्टी की अन्य राज्य इकाईयों से भी सवायी दुस्साहसी ही होगी, किसी से कम नहीं। हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा की असम इकाई के लिए अपने संदेशों में अल्पसंख्यकों के "नरसंहार" के इशारे करना भी कोई नयी बात नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले, दो अलग-अलग संदर्भों में और दूसरी बार तो संभवतः बिहार के विधानसभाई चुनाव में भाजपा-जदयू गठजोड़ की जीत के बाद, भागलपुर के अस्सी के दशक के भयावह दंगों में एक हड्डियों को जमा देने वाली घटना में, लोगाईं गांव में दर्जनों मुसलमानों की हत्या के बाद, खेतों में लाशें गाड़कर, उन पर गोभी बो देने के प्रसंग की, संस्तुतिपरक तरीके से याद दिलायी गयी थी। उस नातिपरोक्ष इशारे से, पाइंट ब्लैंक तक की यात्रा, पूरी तरह से अप्रत्याशित तो नहीं ही थी।

हैरानी की बात नहीं है कि इस मामले पर सारे शोर-शराबे के बावजूद, संघ-भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी तक शामिल हैं, नरसंहार के उक्त जघन्य संदेश से किसी भी तरह से दूरी बनाना तक जरूरी नहीं समझा है। वास्तव में उन्हें तो इसका नोटिस तक लेने की तकलीफ करना भी गवारा नहीं हुआ है। पूरे संघ-भाजपा प्रतिष्ठान की और जाहिर है कि उसके द्वारा नियंत्रित मुख्यधारा के मीडिया की भी मुद्रा, "मूंदेहु आंख कहूं कछु नाहीं" की ही बनी रही है। उनके लिए तिनके की ओट के तौर पर इतना भर काफी है कि आपत्तिजनक बताया जा रहा वीडियो संदेश तो सार्वजनिक पटल पर है ही नहीं -- उसे तो पहले ही हटाया जा चुका है! जिसे हटाया जा चुका है, उस पर विवाद कैसा?

संघ-भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर पर मोदी-शाह जोड़ी की, ऐसे सभी मामलों में चुप्पी वैसे तो एक आम कायदा ही है, फिर भी आने वाले विधानसभाई चुनावों के संदर्भ में यह चुप्पी उनके लिए और भी जरूरी है। यह थोड़े भी राजनीतिक रूप से सजग, तटस्थ प्रेक्षकों से छुपा नहीं हैं कि आम तौर पर आने वाले राज्य विधानसभाई चुनावों में, और खासतौर पर असम और प. बंगाल में विधानसभा के चुनावों में, संघ परिवार को अपनी अति-उपयोग से बुरी तरह घिस चुकी, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक तुरुप का ही सहारा है।

वास्तव में खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक तुरुप का केंद्रीय आधार के रूप में सहारा लेने की शुरूआत तो, 2024 के आम चुनाव के दूसरे-तीसरे चरण से ही शुरू हो गयी थी, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका "खतरा" दिखाना शुरू कर दिया था कि अगर सत्ता उनके विरोधियों के हाथ में आ गयी, तो वे हिंदुओं से छीनकर उनकी भैंस, जमीन, मंगलसूत्र, आरक्षण और न जाने क्या-क्या, मुलसमानों को दे देंगे, जिनका तुष्टीकरण ही उनका मुख्य काम है! उसके बाद से पहले झारखंड में, उसके बाद बिहार में, विधानसभा चुनाव के हरेक चक्र में मोदी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में, हिंदुओं के लिए "छीन लेंगे, मुसलमानों को बांट देंगे" के खतरे के इस राग का स्वर तेज से तेज ही किया गया है।

हैरानी की बात नहीं है कि विधानसभा चुनाव के इस चक्र में, जो उस समय आ रहा है, जब मोदी के नेतृत्व में डबल इंजनिया राज के पास, अपनी चौतरफा विफलताओं के सामने, जनता को बहलाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है, "खतरे" के इस जाप को और भी तेज किया जाने वाला है।

इसके पर्याप्त संकेत मोदी और शाह ने अब तक तथाकथित "घुसपैठियों के खतरे" के अपने बखानों और उन्हें "चुन-चुनकर निकालने" के ऐलानों से दे भी दिए हैं। प. बंगाल में उत्पीड़नकारी, मनमाने तथा पक्षपाती, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण या सर की खुली हिमायत और असम में बिश्वशर्मा की करतूतों के उनके खुले अनुमोदन में, इसकी तैयारियां साफ नजर भी आती हैं। यहां से बिश्वशर्मा का पाइंट ब्लैंक ज्यादा दूर भी नहीं है। लगता है कि बिश्वशर्मा, पाइंट ब्लैंक से निशाना लगाएंगे, जिसके सामने शाह और मोदी के "घुसपैठियों के खतरे" के संदेश, उदार न सही, तार्किक तो बनाकर पेश ही किए जा सकते हैं! फिर भी हैरानी की बात है कि इस पर शायद ही किसी को हैरानी होगी कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के इस खेल को रोकने के लिए, बिखरे हुए जनमत के सिवा, संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार किसी भी संस्था में शायद ही कोई हरकत नजर आती है। संविधान की शपथ लेकर, सभी लोगों के हितों की रक्षा करने का वचन देने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री खुले आम आबादी के एक हिस्से के नरसंहार के आह्वान कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय समेत, समूची न्याय प्रणाली इसे अनदेखा कर के अपने 'न्याय करने' की रस्मअदायगी करने में लगी हुई है। वह चुनाव आयोग, जिस पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि चुनाव समेत, भारतीय राजनीति धर्मनिरपेक्ष, जनतंत्र के दायरे में संचालित हो, कब का अपनी इस जिम्मेदारी का परित्याग कर चुका है और अवैध मतदाताओं की खोज में लगा हुआ है, ताकि उन्हें चुन-चुनकर निकाला जा सके। उसने न्याय व्यवस्था के काफी हद तक भुलाए जा चुके आदर्श सूत्र को सिर के बल ही खड़ा कर दिया है -- चाहे सौ वैध मतदाता कट जाएं, पर एक अवैध मतदाता न रहने पाए! मोदीशाही के बहुमत के आधीन विपक्ष को म्यूट कर के चलती संसद, मोदी सरकार और उसकी गोद में बैठे मुख्यधारा के मीडिया से तो खैर कोई उम्मीद भी कर ही कैसे सकता है?

बहुसंख्यक सांप्रदायिकता की ताकतें, धर्मनिरपेक्ष, जनतंत्रात्मक संविधान को तेजी से पीछे धकेल रही हैं। न्यायपालिका समेत इसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार सभी संस्थाएं, पीछे खिसकते हुए इसके लिए जगह खाली कर रही हैं। संविधान की छाती पर पाइंट ब्लैंक फायर खोल दिया गया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिवर्तित नियमों के वैधानिक अंतर्राष्ट्रीय मायने

कमलेश पांडेय

आए दिन बदलते डिजिटल घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 में संशोधन करके डीपफेक (deepfake) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने कंटेंट के लिए नए डिजिटल नियम जारी किए हैं, जो 10 फरवरी 2026 को अधिसूचित किए गए और 20 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू होते हैं। चूंकि सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डीपफेक व एआई के बढ़ते गलत प्रचलन पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, इसलिए सम्बन्धित प्रशासन का यह कदम स्वागत योग्य है।

आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ साल 2024 में ही साइबर क्राइम के 22.68 लाख केस सामने आए थे। खासकर कई सेलेब्स शिकायत कर चुके हैं कि उनकी तस्वीरों-विडियो का इंटरनेट पर गलत इस्तेमाल हुआ। चूंकि

नई दिल्ली में अगले हफ्ते से AI समिट होना है, जिसमें इस फील्ड के दिग्गज शामिल होंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार के इंडिया AI मिशन की सफलता के लिए यह सम्मेलन बेहद अहम है। हालांकि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में भारत ने अभी तो बस शुरुआत की है। इसलिए यह सफर उम्मीद से बेहतर हो, इसके लिए बेहतर नियमन जरूरी है। वास्तव में भारत के नए डीपफेक/AI नियम (IT Rules 2021 में संशोधन, फरवरी 2026) अन्य देशों के मुकाबले स्पष्ट परिभाषा, तेज टेकडाउन (3 घंटे) और प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि कई देशों में ये कानून अभी प्रस्तावित या कम सख्त हैं। ये अंतर रप्लेटफॉर्म-केंद्रितर हैं, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाते हैं।

इससे अंतरराष्ट्रीय जगत की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कार्यरत लोग और उनके देशी मॉड्यूल भी नहीं बचेंगे। उम्मीद है कि अब सोशल मीडिया का अराजक राज भी कुछ हद तक नियंत्रित होगा। इस दृष्टि से डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिवर्तित नियमों के वैधानिक अंतर्राष्ट्रीय मायने स्पष्ट हैं जो इस प्रकार हैं-

पहला, "सिंथेटिकली जनरेटेड इनफॉर्मेशन" (AI/डीपफेक) की कानूनी परिभाषाः सरकार ने अब AI या अन्य टूल से बनाया या संशोधित ऑडियो-विजुअल/विजुअल कंटेंट को "synthetically generated information" (SGI) के तौर पर परिभाषित किया है। यह उन वीडियो, ऑडियो, छवियों को कवर करता है जो दिखने-सुनने में असली लग रही हैं लेकिन AI या दूसरी तकनीक से बनाई गई हैं।

दूसरा, मैंडेटरी लेबलिंगः "यह AI-जनरेटेड है"- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे X, Instagram, YouTube आदि) को अब हर AI-जनरेटेड या बदला हुआ वीडियो/ऑडियो पर स्पष्ट और साफ-साफ लेबल लगाना अनिवार्य है, जैसे "AI-generated" या "synthetic content". अब इस लेबल को ऐसे रखा जाएगा कि यूज़र इसे आसानी से देख पाए और कंटेंट "असली" लगने पर भी यह साफ हो कि यह AI से बना है।

तीसरा, मेटाडेटा, ट्रेस और बैनः प्लेटफॉर्म्स को पर्सिस्टेंट मेटाडेटा या यूनिक आइडेंटिफायर लगाने हैं ताकि डीपफेक/AI-कंटेंट का सोर्स, किस प्लेटफॉर्म या टूल से बना, आसानी से ट्रेस हो सके। इसलिए लेबल या मेटाडेटा को मिटाकर या छिपाकर कंटेंट शेयर करने पर प्लेटफॉर्म को जवाबदेही माना जा सकता है। वहीं कुछ केसों में (जैसे बेवजह किसी की आवाज़/इमेज का इस्तेमाल, एक्सपोजिंग कंटेंट, बच्चों के खिलाफ मैटरियल, धोखाधड़ी के दस्तावेज़ आदि) ऐसे AI-कंटेंट पर सीधा बैन लगाने की बात है।

चौथा, फास्ट टेक-डाउन टाइमः "ओब्जेक्शनेबल कंटेंट को 3 घंटे में हटाएं" यानी कोई कानूनी/अधिकृत सूत्र (जैसे कोर्ट या सरकारी अथॉरिटी) जिस डीपफेक या AI-कंटेंट को ओब्जेक्शनेबल बताए, उसे प्लेटफॉर्म पर 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। इन्हीं नियमों में यूज़र शिकायतों के निपटान का समय भी घटाकर कुछ मुद्दों पर 7 दिन तक कर दिया गया है।

पांचवां, यूज़र से डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म पर कंट्रोलः बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़र से यह पहले ही पूछने वाले कि वे कौन-सा कंटेंट AI से बनाया/संपादित है, और इस डिक्लेरेशन की सत्यता जांचने के लिए वे ऑटोमेटेड टूल्स (AI डिटेक्शन/मॉडरेशन टूल्स) लगाएंगे। अगर प्लेटफॉर्म ने लेबल नहीं लगाया, सही लेबल नहीं दिया, या अवैध AI-कंटेंट को समय पर नहीं हटाया, तो उसे IT Act के तहत कानूनी जोखिम हो सकते हैं।

सवाल है कि ये डीपफेक नियम अन्य देशों के AI कानूनों से कैसे अलग हैं? तो यह जान लीजिए कि भारत के नए डीपफेक/AI नियम (IT Rules 2021 में संशोधन, फरवरी 2026) अन्य देशों के मुकाबले रस्पष्ट परिभाषा, तेज टेकडाउन (3 घंटे) और प्लेटफॉर्म जिम्मेदारीर पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि कई देशों में ये कानून अभी प्रस्तावित या कम सख्त हैं। ये अंतर रप्लेटफॉर्म-केंद्रितर हैं, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाते हैं।[

जहां तक अमेरिका (USA) से तुलना की बात है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में DEEPFAKES Accountability Act (2023) अभी तक कानून नहीं बना है, बल्कि सिर्फ प्रस्तावित है जो वॉटरमार्किंग और ट्रेसबिलिटी मांगता है लेकिन प्लेटफॉर्म्स पर बाध्यकारी नहीं हैं। जबकि भारत के नियम तुरंत लागू हैं, 3 घंटे का टेकडाउन देते हैं और लेबलिंग को 10% विजिबल बनाते हैं, जो USA के सेल्फ-रेगुलेशन से ज्यादा सख्त है।

जहां तक यूरोपीय संघ (EU) से तुलना की बात है तो यूरोपीय संघ यानी EU AI Act (2024) डीपफेक टूल्स को हाई-रिस्क मानता है, ट्रांसपेरेंसी और रिस्क असेसमेंट मांगता है लेकिन डीपफेक के लिए स्पेसिफिक प्रावधान कम हैं। जबकि भारत SGI (synthetically generated information) की स्पष्ट डेफिनिशन देता है, मेटाडेटा ट्रेसिंग और 3 घंटे टेकडाउन के साथ। वहीं EU ज्यादा व्यापक AI रेगुलेशन पर फोकस करता है।

जहां तक चीन से तुलना की बात है तो चीन के 2023 Deep Synthesis Regulations लेबलिंग और ट्रेसबिलिटी पर समान हैं, लेकिन सरकारी कंट्रोल ज्यादा सख्त है। जबकि भारत प्लेटफॉर्म्स को ऑटोमेटेड टूल्स लगाने और यूजर डिक्लेरेशन लेने का आदेश देता है, जो चीन से मिलता लेकिन लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा लागू होता है।

जहां तक यूके (UK) से तुलना की बात है तो यूनाइटेड किंगडम यानी UK Online Safety Act (2023) हानिकारक डीपफेक (सेक्सुअल इमेज) को क्रिमिनलाइज करता है, Ofcom कोड्स से प्लेटफॉर्म्स पर ड्यूटी ऑफ केयर लगाता है। जबकिं भारत सभी प्रकार के डीपफेक पर फोकस करता है (चुनाव, फ्रॉड आदि), 3 घंटे vs UK के 24 घंटे टेकडाउन के साथ ज्यादा तेज है।

इस प्रकार देखा जाए तो भारत सरकार ने डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार कंटेंट के लिए डिजिटल नियमों को कड़ा कर दिया है, क्योंकि तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। खासकर ऑडियो, विडियो और तस्वीरों से छेड़छाड़ व फर्जी कंटेंट सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ-साथ आम लोगों व देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं।

हालांकि सोशल मीडिया पर कोई भी नया नियम लागू करने पर सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल उठाया जाता है, खासकर यह कि सरकार कहां तक निगरानी कर सकती है? इस लिहाज से नए नियम बेहद महत्वपूर्ण हैं, विश्व में सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इनमें नियंत्रण से ज्यादा नियमन को तरजीह दी गई है। इसका स्पष्ट मकसद है कि देखने वालों को असली और नकली के बीच का फर्क पता रहे, ताकि उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए न हो सके।

नए नियमों के मुताबिक, AI लेबलिंग होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि कंटेंट आया कहां से है और अगर कोई सामग्री गैरकानूनी है तो उसे तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। सरकार ने नियमों के पालन के लिए तय समय-सीमा भी घटाई है। चूंकि ऑनलाइन चीजें जिस तेजी से वायरल होती हैं, इसलिए उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी था कि एक्शन की रफ्तार भी बढ़ाई जाए। वहीं, जिस तरह से अब सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और उनके सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी डाली गई है, जो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये कंपनियां हर बात में यूजर राइट्स और प्राइवेसी की आड़ लेकर बच नहीं सकतीं, उनकी भी जवाबदेही तय होना जरूरी है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर मौजूद हैं और 86% से ज्यादा घरों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। लिहाजा डिजिटल इंडिया आज तरक्की का संकेत है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। खासकर डीपफेक और AI के जरिये ऑडियो-विडियो में छेड़छाड़ ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है। यूँ तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का विस्तार अभी शुरू हुआ है,जिसके साथ देशों की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था-सब कुछ नए ढंग से आकार ले रहा है। इसलिए भारत ने देर आयद, दुरुस्त आयद की तर्ज पर बहुत ही सोचा समझा हुआ कदम उठाया है।

हायर एजुकेशन: 75% कॉलेज अपने छात्रों को नहीं दे पा रहे जॉब वाली स्किल्स

राजेश जैन

भारत में हर साल लाखों युवा बड़े सपनों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। परिवार उम्मीद करता है कि चार साल की पढ़ाई के बाद बच्चा अच्छी नौकरी पाएगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और समाज में सम्मान पाएगा लेकिन आज की सच्चाई यह है कि डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी मिलना किसी जुए से कम नहीं रह गया है। टीमलीज एडटेक की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत के करीब 75% कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने छात्रों को जॉब-रेडी स्किल्स देने में नाकाम हो रहे हैं, यानी डिग्री तो मिल रही है लेकिन नौकरी के लायक नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

डिग्री की फैक्ट्रियां बनते जा रहे हैं कॉलेज

रिपोर्ट का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है -डिग्री की फैक्ट्रियों से रोजगार केंद्रों तक। आज बड़ी संख्या में संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियों में बदल चुके हैं। क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाई जाती है, पुराने सिलेबस रटाए जाते हैं लेकिन असली दुनिया की जरूरतों से छात्रों का कोई संपर्क नहीं होता। नतीजा यह होता है कि छात्र पास होकर निकलते हैं लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता होता कि इंडस्ट्री उनसे क्या चाहती है।

आज कंपनियों को ऐसे युवा चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझते हों, कम्युनिकेशन में मजबूत हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हों। लेकिन ज्यादातर कॉलेज इन स्किल्स पर काम ही नहीं करते।

प्लेसमेंट का कड़वा सच

कागजों में कई संस्थान 100% प्लेसमेंट का दावा करते हैं लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 16.67% संस्थान ही ऐसे हैं जो अपने 76% से 100% छात्रों को छह महीने के भीतर नौकरी दिला पाते हैं। बाकी छात्रों को या तो बहुत कम सैलरी वाली नौकरी मिलती है या फिर वे बेरोजगार घूमते रहते हैं, या किसी दूसरे कोर्स की तैयारी करने लगते हैं।

यह स्थिति उन माता-पिता के लिए भी चिंता का विषय है जो भारी फीस भरकर बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाते हैं। इंडस्ट्री और पढ़ाई के बीच गहरी खाई आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही है कि पाठ्यक्रम और उद्योग की जरूरतों में तालमेल नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 8.6% संस्थानों के कोर्स पूरी तरह इंडस्ट्री-फ्रेंडली हैं, 51% से ज्यादा संस्थानों का उद्योग से कोई तालमेल ही नहीं। मतलब आधे से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं, जहां पढ़ाया कुछ और जाता है और नौकरी में चाहिए कुछ और।

क्लासरूम में इंडस्ट्री का अनुभव नदारद

अगर कॉलेजों में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाएं, तो छात्रों को असली दुनिया की समझ मिले। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 7.56% संस्थानों में ही "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" जैसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया है। बाकी जगह वही पुराने प्रोफेसर, वही पुराने नोट्स, वही पुरानी थ्योरी। छात्रों को यह नहीं बताया जाता कि आज जॉब मार्केट कैसे बदल रहा है, नई भूमिकाएं क्या हैं, कंपनियां किस तरह के स्किल्स ढूंढ रही हैं।

सर्टिफिकेट्स से दूरी

आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखतीं, वे मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स को भी महत्व देती हैं। जैसे-एआई और डेटा साइंस सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, 60% से ज्यादा संस्थानों ने इन सर्टिफिकेट्स को अपने कोर्स में शामिल करने पर

कभी सोचा ही नहीं। नतीजा-छात्र ऐसे स्किल्स के बिना ग्रेजुएट होते हैं, जिन्हें कंपनियां तुरंत पहचान सकें।

इंटर्नशिप: नाम की, काम की नहीं

नौकरी से पहले इंटर्नशिप सबसे जरूरी कदम होती है। यहीं से छात्र सीखते हैं- ऑफिस कल्चर, टीमवर्क, असली प्रोजेक्ट पर काम लेकिन भारत में सिर्फ 9.4% संस्थानों में सभी कोर्स के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप होती है और 37.8% संस्थानों में इंटर्नशिप की कोई व्यवस्था ही नहीं है, यानी लाखों छात्र बिना किसी प्रैक्टिकल अनुभव के सीधे जॉब मार्केट में उतर जाते हैं। फिर कंपनियां कहती हैं-आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है।

लाइव प्रोजेक्ट्स भी गायब

लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स छात्रों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। लेकिन सिर्फ 9.68% संस्थानों में ही ऐसे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं। बाकी जगह

थ्योरी पढ़ाओ, एग्जाम लो, डिग्री दो और मामला खत्म।

एलुमनाई नेटवर्क की कमजोरी

पूर्व छात्र किसी भी संस्थान की ताकत होते हैं। वे मेंटरशिप दे सकते हैं, रेफरल दिला सकते हैं, जॉब के मौके खोल सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि

सिर्फ 5.44% संस्थानों के पास सक्रिय एलुमनाई नेटवर्क है। यानि कॉलेज अपने ही पुराने छात्रों की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।

इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं, देश पर भी

जब युवा बेरोजगार रहते हैं,तो इसका असर सिर्फ परिवार पर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उत्पादकता घटती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, स्किल गैप बढ़ता है, माइग्रेशन बढ़ता है, डिग्रीधारी बेरोजगारी , देश के लिए सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है।

यह है समाधान

रिपोर्ट साफ कहती है कि अब बदलाव विकल्प नहीं, मजबूरी है। इसके लिए इंडस्ट्री-अनुकूल सिलेबस, अनिवार्य इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भागीदारी, सर्टिफिकेट कोर्स, मजबूत एलुमनाई नेटवर्क, कॉलेजों को सिर्फ पढ़ाने की नहीं, रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

सरकार की भूमिका भी अहम

नई शिक्षा नीति सही दिशा में कदम है, लेकिन ज़मीन पर उसका असर अभी सीमित है। सरकार को चाहिए कि कॉलेजों की जवाबदेही तय करे, प्लेसमेंट डेटा पब्लिक करे, स्किल-बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे, इंडस्ट्री पार्टनरशिप अनिवार्य बनाए, छात्रों को भी जागरूक होना होगा।

आज का छात्र सिर्फ डिग्री पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे खुद भी ऑनलाइन स्किल्स सीखनी होंगी, इंटर्नशिप ढूंढनी होगी, नेटवर्क बनाना होगा, इंडस्ट्री ट्रेंड समझना होगा। अगर भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम आज नहीं सुधरा तो आने वाले सालों में डिग्रियों की भीड़ होगी, लेकिन नौकरियों की कमी। यह संकट सिर्फ शिक्षा का नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकट है। अब वक्त है डिग्री फैक्ट्रियों को रोजगार केंद्रों में बदलने का।

पाखंड की ओट में छुपा दान: क्या यह सच में पुण्य है?

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

मनुष्य की आत्मा जब अपने कर्मों का निष्पक्ष लेखा-जोखा करती है, तब सबसे पहले यह प्रश्न उसके अंतर्मन में गूँजता है—क्या धन की पवित्रता से बड़ा कोई नैतिक मूल्य हो सकता है?

आज के युग में, जब अनेक लोग छल, कपट और अनैतिक तरीकों से अर्जित धन को धार्मिक कार्यों में लगाकर स्वयं को धर्मात्मा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तब इस प्रवृत्ति की गंभीर समीक्षा अनिवार्य हो जाती है। यह विषय केवल दान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चरित्र, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व की कसौटी है। भव्य मंदिर, विशाल दानशालाएँ और चमकदार आयोजन हमारी आँखों को चकाचौंध कर सकते हैं, किंतु उनके पीछे छिपा अन्याय प्रायः दृष्टि से ओझल रह जाता है। यही भ्रम धीरे-धीरे हमारी चेतना को शिथिल करता है और हमें नैतिक पतन की खाई की ओर धकेल देता है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलत कमाई को अच्छे कार्यों में लगा रहा है, तो कम से कम वह समाज का हित तो कर ही रहा है। परंतु यह सोच न केवल सतही है, बल्कि अत्यंत भ्रामक भी है। जिस धन की नींव शोषण, धोखा और भ्रष्टाचार पर रखी गई हो, वह कभी भी सच्चे कल्याण का माध्यम नहीं बन सकता। ऐसा धन पीड़ितों की आहों, आँसुओं और असहनीय पीड़ा से जुड़ा होता है। जब उसी धन से दान किया जाता है, तब वह सहायता नहीं, बल्कि अन्याय का एक नया रूप बन जाता है—अन्याय का पुनर्वितरण। समाज को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि सच्ची भलाई का मार्ग केवल शुद्ध और न्यायपूर्ण साधनों से होकर ही गुजरता है।

भारतीय दर्शन सदैव साधन और साध्य—दोनों की शुद्धता पर बल देता आया है। उपनिषद, गीता और स्मृतियाँ एक स्वर में यह उद्घोष करती हैं कि अधर्म से अर्जित धन कभी भी पुण्य का स्रोत नहीं बन सकता। श्रीमद्भगवद्गीता में सात्विक, राजस और तामस दान का विवेचन करते हुए शुद्ध भावना और ईमानदार कमाई को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मनुस्मृति भी यही प्रतिपादित करती है कि अन्यायपूर्ण साधनों से प्राप्त संपत्ति आत्मिक उन्नति में बाधक बनती है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, न कि उसे अपने पापों पर आडंबर का आवरण चढ़ाने की अनुमति देना।

इतिहास स्वयं इस निर्विवाद सत्य का साक्षी है कि अपराध और दान का संगम कभी भी महानता की रचना नहीं कर सका। अनेक शासकों और धनाढ्य व्यक्तियों ने अस्पताल, विद्यालय और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, परंतु उनके अत्याचार, अन्याय और निर्दयता उन्हें कभी महान नहीं बना सके। जनता के खून-पसीने और पीड़ा से अर्जित धन से खड़े किए गए भवन केवल निर्जीव पत्थर के ढाँचे होते हैं, जिनमें नैतिकता और संवेदनशीलता की आत्मा का सर्वथा अभाव होता है। समय ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आचरण और कर्मों से आँका जाता है, न कि उसके दान की भव्यता और राशि से।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत कमाई से किया गया दान आत्म-शुद्धि का एक झूठा भ्रम उत्पन्न करता है। अनेक लोग इसे अपने अपराध-बोध से मुक्ति पाने का सरल उपाय मान लेते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि कुछ धन दान कर देने मात्र से उनके पाप धुल जाएँगे और उनका अंतर्मन निर्मल हो जाएगा। किंतु यह मानसिकता आत्म-सुधार नहीं, बल्कि आत्म-छल और आत्म-प्रवंचना का रूप है। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव होता है, जब मनुष्य अपने गलत मार्ग को त्यागकर सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हो। बिना आचरण बदले किया गया दान आत्मा को अस्थायी संतोष देने वाला एक छलावा मात्र बनकर रह जाता है।

प्रेम को बदनाम करने वालों से सावधान

डा. विनोद बब्बर

इधर बसंत ने दस्तक दी ही थी कि हृदय से अधिक मस्तिष्क में प्रेम का झरना फूट पड़ा। बसंत से होली तक चहुँ ओर प्रेम-ही-प्रेम बिखरा दिखाई देता है। इन दिनों प्रकृति भी अपने रूप-सौंदर्य से इठलाती यौवना प्रतीत होती है तो पक्षियों का कलरव वातावरण में संगीत की छटायें बिखेरता है। पश्चिम का एक दिन का दिखावटी प्रेम पर्व भी इसी दौरान आता है परंतु हम तो मदनोत्सव के पूरे 40 दिन प्रेम की स्वर-लहरियों पर थिरकते हैं। आखिर हो भी क्यों न, प्रेम शाश्वत जो ठहरा। इधर महानगरों से तो जैसे प्रेम का विस्फोट हो गया हो. जिसे देखो वही बुद्धा जयन्ती पार्क से मैट्रो स्टेशन, पीवीआर सिनेमाओं, कॉफी होमों में प्रेम-पुजारी बना दिखाई देता है। प्रेम, प्रेम न हुआ स्वाइन-फ्लू हो गया। चहुँ ओर प्रेम के नाम पर स्वच्छंदता, अश्लीलता रूपी वायरस के संक्रमण का ज्वार देखकर हमने भी प्रेम के इतिहास-भूगोल पर चर्चा करने की ठानी है।

प्रेम मानवीय आवश्यकता है। इसके बिना तो संसार निस्सार है परंतु क्या प्रेम का स्वरुप देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है? क्या मनमाना रूप ग्रहण कर लेना ही प्रेम का स्वरुप है? क्या प्रेम महज दैहिक अभिव्यक्ति है? क्या युवा अवस्था में किसी के प्रति मन में उठ रही भावनाएं ही प्रेम हैं? शायद नहीं क्योंकि प्रेम इतना गिर नहीं सकता। प्रेम कमजोर नहीं, शक्तिशाली ही कर सकते हैं। वह शक्ति शरीर नहीं, मन में निहित है। कमजोर मन फौरन प्रतिफल चाहता है क्योंकि वह प्रेम नहीं, व्यापार करता है। हमारे संतों ने प्रेम का गुणगान किया है। कबीर कहते हैं-

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित हुआ न कोय।

ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होय।

रसखान कहते है-

प्रेम प्रेम सब कोउ कहत, प्रेम न जानत कोइ।

जो जन जानै प्रेम तो मरै जगत क्यों रोइ।

संस्कृति संरक्षक गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं-

सांच कहू सुन लीजो सदा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।

उन्होंने यह भी कहा है-

जो तोहे प्रेम खेलन को चाउ, सिर धर तली गली मोरी आउ

इसीलिए मैं भी प्रेम करता हूँ- अपनी माँ से, अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, ...और उन सबसे जो भारत को अपनी जन्मभूमि, पुण्यभूमि मानकर इसके यश में श्रीवृद्धि कर रहे हैं। वे सब जो अपने माता-पिता को आदर देते हैं, अपने बच्चों को देश का सुयोग्य और जिम्मेवार नागरिक बनाना चाहते हैं। मेरे प्रेमियों की लिस्ट बहुत लम्बी है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रेम के नाम पर समाज में अश्लीलता, फूहड़ता, वासना और सेक्स को परोसा जा रहा है, उसे प्रेम का नाम देना उचित नहीं है। वैलेंटाइन डे सहित तमाम अन्य 'डे ओं' पर जो कुछ देखने को मिलता है, हो सकता है वह पश्चिमी संस्कृति में गलत न हो लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति में इसे अश्लीलता ही कहा जाएगा। प्रेम दिवस के मौके पर सड़कों और पार्कों में खुलेआम आलिंगनबद्ध होना आखिर क्या है?

अपने अनुभव के आधार पर दावा कर सकता हूँ कि पश्चिमी समाज में मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, फादर्स डे, मदर्स डे आदि की प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि वहाँ सब कुछ औपचारिक है। किसी को किसी से विशेष लगाव नहीं है। सब अलग-थलग हैं। यूरोप प्रवास के दौरान एक मित्र के यहाँ जाने पर उनके बच्चों के बारे में पूछा तो वे परेशान दिखाई दिये। दरअसल उनके युवा बेटा-बेटी उनसे अलग रहते थे। 'क्या वे शादी कर चुके हैं?' इसके जवाब में उन्होंने उत्तर दिया था, 'नहीं, अभी ही पढ़ाई पूरी कर जॉब में आए है।' 'क्या किसी दूर शहर में नौकरी है?' इसका उत्तर देते हुए बहुत लज्जित थे वे मित्र क्योंकि बच्चे उसी शहर में उनसे अलग रहते थे और कभी-कभार फोन पर ही उनसे सम्पर्क हो पाता था। शायद इसी कारण किसी खास दिन अपनों के प्रति अपना प्रेम, प्रदर्शित किया जाता हैं। अब यह वायरस तेजी से हमारे देश में भी फैल रहा है।

हमारे संतों ने सदा कहा है- 'प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय।' मगर दिनभर पार्क, सिनेमा हॉल से टीवी चैनलों तक चहकते गलबहिया करते प्रेमी जोड़ों को देखकर फैसला करना मुश्किल होता है कि वे हमें प्रेममय होने का संदेश दे रहे हैं या अपनी कम्पनी के उत्पाद खरीदने के लिए भड़का-उकसा रहे हैं। धन्य है टीवी प्रेम, जो सबकुछ हाट बिकाय की धुन पर प्रेम को व्यवसाय बनाने पर आमादा है। यह विज्ञापनों की कृपा है कि हमारा अपना लाडला भी अपनी विज्ञापनी माँगे पूरी होने पर ही हमसे प्रेम करता है। आज किसी भी सिनेमा हॉल, पार्क, मैट्रो या रेस्तरा में हर टेबल पर सिर-से-सिर जोड़े प्रेमी जोडे.को देखकर अब कोई कैसे विश्वास करेगा कि 'प्रेम न हाट बिकाय'। प्रेमिका को महंगे गिफ्ट दिये बिना क्या कोई मजनूं, कोई फरहाद, कोई रांझा बन सकता है? आज की गोपियां किसी कान्हा की बांसुरी की धुन पर थोड़े ही रिझती हैं। उनकी नजर उसकी गाड़ी, उसके पर्स पर ही रहती है। नई प्रेम परिभाषा के अनुसार दिल प्रेम के लिए नहीं, दिल खोलकर खर्च करने-लुटाने के लिए होता है।

हमारा खुला सवाल है दिखावटी प्रेम करने वालों से कि क्या उनके मन मे कभी अपने इर्द-गिर्द रहने वाले बेसहारा- गरीब बच्चों के प्रति प्रेम उमड़ा है? क्या वृद्धाश्रम में नीरस जीवन बिताने वालों के प्रति उनके प्रेम का झरना फूटा है? यदि नहीं तो क्यों? अपनी प्रेमिका के लिए महंगे से महंगे फूल ले जाने वालों ने क्या कभी अपने उस मजबूर बाप को, जिसने उसे पालने-पोसने से लेकर काबिल बनाने के लिए क्या नहीं किया, एक सस्ता गेंदे का फूल भी लाकर दिया है? होटल, क्लब अथवा पार्क में घंटों इन्तजार करने वालों ने क्या उन दो जोड़ी आँखों के बारे में भी सोचा है, जो घर पर उनकी राह जोह रही हैं? आखिर इन्हें कौन बतायेगा कि मातृ-भूमि से मुहब्बत करने वाले भगत सिंह, चन्द्रशेखर अशफाकुल्ला खान, सुभाषचन्द्र बोस, लाला लाजपत राय के प्रति श्रद्धा-प्रेम हमेशा कायम रहेगी।

हमारी संस्कृति प्रेम की विरोधी नहीं है। सत्य तो यह है कि हमे जीवन के हर कदम पर प्रेम और सद्भावना की घुट्टी पिलाई जाती है। हमारे पूर्वजों का मत था कि जिस घर में भौतिक सुख का हर साधन उपलब्ध हो, अगर वहाँ प्रेम न हो तो वह घर श्मशान से किसी भी तरह बेहतर नहीं है। श्मशान, जहाँ मुर्दे रहते हैं, वे एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, एक-दूसरे के दुख-पीड़ा को नहीं समझ सकते। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि जिस परिवार में सेवा, समर्पण, सदाचार हो, वहाँ प्रेमी रूपी अमृत खूब बरसता है। ठीक इसके उल्टे, जहाँ संवेदनहीनता हो, ईर्ष्या, नफरत हो उस घर को नर्क नहीं तो और क्या कहेंगे?

प्रेम हमारे जीवन की आवश्यकता है। शिशुपन में माँ के प्रति वात्सल्य, बचपन में अपने परिवार, अपने परिवेश के साथ- साथ ज्ञानार्जन के प्रति समर्पण रुपी प्रेम। युवावस्था में अपने भविष्य निर्माण की सच्ची लगन, शिक्षा और ट्रेनिंग के प्रति समर्पण, माता- पिता के स्वप्न साकार करने के लिए एकलव्य जैसी एकाग्रता और सदाचार। विवाह के पश्चात्अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी व प्रेम, बच्चों के प्रति प्राण-प्रण से जुटने वाली ममता लेकिन अपने जनक-जननी एवं समाज के प्रति दायित्वों में कहीं कोई कमी नहीं। अपने व्यवसाय के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा रुपी प्रेम जीवन भर का अभ्यास होना चाहिए।

आज वासना से सने जिस प्रेम की चर्चा है, उसे हम किस श्रेणी में रखें? स्कूल-कॉलेजों तक पहुँचे प्रेम के इस विकृत स्वरूप ने सारे समाज को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यह वासना ही तो है जो प्रेम का लबादा ओढे है वरना जो प्रेम जन्म-जन्म का साथ निभाने का दम भर कर परवान चढ़ता है, वह एक ही दिन में कई-कई रूप बदलता नजर क्यों आता है? आज तेरे साथ, कल इसके साथ, परसों उसके साथ, फिर किसी और, और .....के साथ। यह प्रेम नहीं, सीधे-सीधे छल है। 'मैं जिससे प्रेम करता हूँ, वही हो मेरा जीवन साथी' जैसी बड़ी-बड़ी बाते करने वालों का प्रेम सरोवर कुछ ही दिनों में, क्यों मरुस्थल में तब्दील हो जाता है कि बात तलाक तक जा पहुँचती है? क्या इस संबंध में सोच बदलने की जरुरत नहीं है? 'मैं जिससे प्रेम करता हूँ, वही हो मेरा जीवन साथी' की बजाय यदि 'जो मेरा जीवन साथी हो, उसी से सदा-नीरा की तरह हो मेरा प्रेम' की अवधारणा पर चिंतन करना होगा।

प्रेम मीरा की भक्ति है, शिवा की शक्ति है, राणा का त्याग है, लक्ष्मण की कर्तव्यनिष्ठा है, बीरबल की सजगता है, तानसेन और बैजू का संगीत है, तुलसीदास की साहित्य साधना है, कबीर की साधुक्कड़ी वाणी है, ऋतुओं का सौंदर्य है, पर्वत सी अचलता है, सागर की विशालता है, गंगा-जल सी निर्मलता है, किसी अबोध की निश्छलता है, किसी मासूम की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करने की अनुभूति है तो श्रवण कुमार सी पितृ भक्ति है। महारानी कर्मवती की राखी की लाज भी तो प्रेम ही थी।

प्रेम देश पर मर-मिटने का मंत्र है, जिसे जन-गन-मण के प्रति अपना कर्तव्य कभी न भूले, वह तंत्र हैं। प्रेम आलम्ब है, अभिनंदन है, आश्वस्ति है। अपने प्रेम से एकाकार होने का उपक्रम है। यकीन मानिये, पन्नाधाय की प्रेरणा बनकर निजसुत को राष्ट्र की बलि बेदी पर कुर्बान करने के साहस का नाम प्रेम ही तो था। हाड़ा रानी द्वारा प्रथम मिलन की सेज से वतन की लाज रखने के लिए पति को हटाना, अपना शीश देकर भी मातृ-भूमि का शीश ऊँचा रखने का दुस्साहस प्रेम नहीं तो और क्या था?

मजहब परस्ती से बढ़कर वतन परस्ती के नायक इब्राहिम गार्दी द्वारा देश के दुश्मन अहमदशाह अब्दाली को धिक्कारने का बल प्रेम ही तो है। जलियांवाला बाग में बही खून की एक-एक बूँद है, अब्दुल हमीद की वतनपरस्ती है, शिकागो में भारतीय संस्कृति का जयघोष करते स्वामी विवेकानंद का विवेक है, कश्मीर की केसर है, बंगाल का नंदनवन है। कच्छ का विस्तृत रण सा प्रेम देश के जन-जन के हृदय में एकता की प्रेरणा उत्पन्न करने का सबब बनता रहा है, बना रहना चाहिए क्योंकि इसके बिना हम मनुष्य होकर भी मनुष्यता से दूर हैं, शक्ति-सामर्थ्य होते हुए भी निष्क्रिय-निष्प्राण और निर्लज्ज की संज्ञा पा सकते हैं।

टाटानगर में लोको पायलटों ने हड़ताल का किया समर्थन पर बैज लगाकर किया कार्य

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

जमशेदपुर। केंद्रीय मजदूर संगठनों की हड़ताल के समर्थन में लोको पायलट के समूह ने टाटानगर में गुरुवार को बैज लगाकर ड्यूटी किया। टाटानगर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के ब्रांच सचिव शैलेश कुमार ने बताया कि कीताडीह रोड स्थित गार्ड-क्रू लॉबी के समक्ष गेट मीटिंग किया जाएगा। इधर रेलवे में सक्रिय अन्य यूनियन और संगठन के सदस्यों ने भी बजे लगाकर हड़ताल को नैतिक समर्थन दिया है। बताया जाता है कि रेलवे में हड़ताल को लेकर हर स्टेशन पर अधिकारी सतर्क थे। हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से आया था। लेकिन लोको पायलट एवं अन्य ने आवश्यक सेवा होने के कारण हड़ताल में शामिल नहीं हुए।

रामकृष्ण फर्जिग -5 ने किसानों से जमीन ली नहीं दी नौकरी, अब अनसन पर जमीनदाता

सरायकेला जिले में अधिकांश फैक्ट्रियों की यही हाल, श्रम प्रवर्तन शक के दायरे में

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड –झारखंड

सरायकेला , सरायकेला खरसावां जिला अन्तर्गत बालीगुमा गांव स्थित रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड के प्लांट-5 के मुख्य गेट पर गुरुवार से करीब डेढ़ दर्जन जमीनदाताओं ने स्थायी नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है जहां खरसावां विधायक का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है ।

कंपनी के जमीनदाताओं का कहना है कि वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा लगभग 40 लोगों को स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था। इनमें से 21 लोगों को नियोजन मिल चुका है, जबकि शेष 19 लोगों कब मिलेगा या नहीं यह भगवान ही जानते हैं । जमीनदाताओं ने बताया कि 22 जनवरी 2026 को इस संबंध में जिला के श्रम अधीक्षक सह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अविनाश ठाकुर को लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि अक्सर होता आया है । देखा जाय तो 1907 में बसा मूलवासियों की जमीन पर केवल टिस्कों वल्कि आते आते मकड़े जाल की तरह जिले में बसे सभी छोटी बड़ी कंपनियां जनता , जमीन धारकों के साथ यही करती आ रही है । आज भी टिस्को लीज मामला मूल निवासियों के साथ सूर्खियों में में है । उधर इसपर नेता ,अधिकारी और कार्पोरेट की सिंडिकेट चलता आया है ।

वैलेंटाइन: प्रेम का पर्व या बाजार का उत्सव? प्यार का मूल्य नहीं, मूल्यबोध चाहिए

कृति आरके जैन

वैलेंटाइन डे का नाम लेते ही आज मन में गुलाब, चॉकलेट, टेडी और महंगे गिफ्ट्स की चमकदार तस्वीर उभर आती है। प्यार जैसे पवित्र भाव को हमने धीरे-धीरे बाजार की सजावटी वस्तु बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बिना तोहफों के प्रेम अधूरा और बेकार है। लेकिन क्या सच में प्यार की पहचान इन दिखावटी चीजों से होती है? बिल्कुल नहीं। प्यार की असली भाषा त्याग, समर्पण और एक-दूसरे के लिए खुद को पीछे रखना है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी छोड़कर प्रियजन की मुस्कान में अपना सुख खोजता है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। दुर्भाग्य से आज का आधुनिक वैलेंटाइन इस पवित्र भावना को लगभग भुला चुका है।

पारंपरिक प्रेम की जड़ें त्याग और समर्पण में गहराई से जुड़ी हुई थीं। राम-सीता, राधा-कृष्ण, हीर-रांझा और लैला-मजनूं जैसी प्रेम कथाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम में त्याग सर्वोच्च मूल्य था। प्रेमियों ने समाज, परिवार और यहां तक कि अपने जीवन तक का बलिदान दिया। वैलेंटाइन डे की शुरुआत भी संत वैलेंटाइन के महान त्याग से हुई, जिन्होंने प्रेम की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उस समय प्यार कोई व्यापार नहीं था, बल्कि आत्माओं का पवित्र रिश्ता था। आज के दौर में यह भावना कमजोर होती जा रही है। त्याग की जगह अब दिखावे और स्वार्थ ने ले ली है।

मॉडर्न लव की दुनिया में सोशल मीडिया ने प्यार को एक मंच बना दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर महंगे डिनर, लग्जरी ट्रिप और कीमती गिफ्ट्स की तस्वीरें आज प्रेम का प्रमाण मानी जाती हैं। लोग अब कम महसूस करते हैं और ज्यादा दिखाते हैं। पारंपरिक प्रेम में त्याग चुपचाप होता था, बिना किसी प्रचार और प्रदर्शन के। मां का बच्चे के लिए रातभर जागना, पिता का अपनी इच्छाओं को दबाना — ये निःस्वार्थ प्रेम के सच्चे उदाहरण थे। लेकिन आज का वैलेंटाइन इन मूल्यों को लगभग भूल चुका है। पूंजीवाद ने प्यार को व्यापार में बदल दिया है, जहां भावनाएं भी बिकाऊ वस्तु बन गई हैं।

दार्शनिक दृष्टि से प्रेम आत्माओं का मिलन है, न कि वस्तुओं का लेन-देन। प्लेटो और अरस्तू जैसे महान दार्शनिकों ने प्रेम को आत्मिक विकास और चरित्र निर्माण का माध्यम माना। पारंपरिक प्रेम इसी विचारधारा पर आधारित था, जहां प्रेम इंसान को बेहतर बनाता था। लेकिन आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद तेजी से बढ़ा है। लोग अपने सुख और सुविधा को प्राथमिकता देने लगे हैं। गिफ्ट्स केवल क्षणिक आत्म-संतोष देते हैं, जबकि त्याग स्थायी आत्म-परिवर्तन लाता है। डेटिंग ऐप्स की संस्कृति ने रिश्तों को अस्थायी और सतही बना दिया है। आज प्यार एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक विकल्प बनकर रह गया है।

भारतीय संस्कृति में त्याग को सदैव पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। सावित्री, सती-सावित्री, मीरा और सीता जैसे आदर्श चरित्र हमें प्रेम में समर्पण और निष्ठा का सही अर्थ समझाते हैं। यहां प्यार केवल एक भावना

नहीं, बल्कि साधना और तपस्या था। लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव से वैलेंटाइन पश्चिमी संस्कृति के साथ भारतीय समाज में प्रवेश कर गया। धीरे-धीरे युवा वर्ग ने इसे अपनाया, पर उसके साथ उपभोगवाद भी फैलता गया। गिफ्ट्स प्रेम का मापदंड बन गए। रिश्ते तेजी से बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। स्थिरता की जगह अब अस्थिरता ने ले ली है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से त्याग विश्वास, सुरक्षा और अपनापन पैदा करता है। एरिक फ्रॉम के अनुसार, प्रेम देना सीखना ही सच्चा प्रेम है। पारंपरिक प्रेम इसी सिद्धांत पर आधारित था। त्याग से विश्वास मजबूत होता था और रिश्ते गहराते थे। लेकिन महंगे उपहार केवल क्षणिक खुशी देते हैं। वे डोपामाइन बढ़ाते हैं, पर स्थायी संतोष नहीं दे पाते। जैसे ही उपहार कम होते हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है। कई युवा वैलेंटाइन पर अपेक्षाएं पूरी न होने पर निराश हो जाते हैं, जिससे मानसिक तनाव और अकेलापन बढ़ता है।

साहित्य और सिनेमा भी हमें त्याग का महत्व बार-बार समझाते हैं। फिल्म 'टाइटैनिक' में जैक का बलिदान आज भी दर्शकों की आंखें नम कर देता है, इसलिए वह प्रेम अमर बन गया। इसके विपरीत, फूल और चॉकलेट कुछ ही दिनों में मुरझा जाते हैं। वे गहरी यादें नहीं बनाते, केवल क्षणिक सुख देते हैं। पारंपरिक प्रेम में त्याग जीवनभर की कहानी बन जाता था। आज मार्केटिंग ने प्यार को एक इंस्टेंट प्रोडक्ट बना दिया है। कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, लेकिन रिश्ते दिन-ब-दिन खोखले होते जा रहे हैं।

प्यार की असली भाषा त्याग है, गिफ्ट नहीं। वैलेंटाइन डे ने इस सच्चाई को धीरे-धीरे भुला दिया है, क्योंकि उपभोगवाद ने प्रेम को आकर्षक पैकेज में बदल दिया है। पारंपरिक प्रेम में त्याग से रिश्ते मजबूत और स्थायी होते थे, जबकि आधुनिक प्रेम में दिखावे से वे कमजोर और अस्थिर होते जा रहे हैं। हमें फिर से छोटे-छोटे त्यागों को अपनाना होगा — समय देना, समझना, साथ निभाना और सम्मान करना। वैलेंटाइन जरूर मनाएं, लेकिन दिल और भावना से। जब प्रेम में त्याग वापस लौटेगा, तभी वह सच्चा, गहरा और अमर बन सकेगा।

मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने सीवरेज समस्याओं के समाधान हेतु पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारियों के साथ की विशेष बैठक

अगले 3 महीनों में शहरवासियों को सीवरेज जाम से मिलेगी राहत : मेयर भाटिया

अमृतसर, 11 फरवरी (साहिल बेरी)

अमृतसर के मेयर सरदार जतिंदर सिंह भाटिया ने आज सिविल तथा ओ एंड एम (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) विभाग के पश्चिमी जोन के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में क्षेत्रवासियों को सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए अहम निर्णय लिए गए। इस अवसर पर एसडीओ, जेई और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान शहर के विभिन्न वार्डों में 'सुपर सकर मशीनों' के माध्यम से डी-सिल्टिंग (सीवरेज की सफाई) का कार्य निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मैनुअल डी-सिल्टिंग कार्य को तेज करने के लिए अगले सप्ताह तक उचित कदम उठाए जाएंगे।

गोंसबाद और खापरखेड़ी स्थित एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई, ताकि पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। छेहरटा और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही सीवरेज जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी जल्द ठोस प्रबंध किए जाएंगे।

मेयर सरदार जतिंदर सिंह भाटिया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी 3 महीनों के भीतर पश्चिमी हलके में सीवरेज जाम की समस्या का पूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

झारखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला

हेमंत सरकार ने बदल दिये 16 आईएएस अधिकारीयों के विभाग

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड राज्य सरकार ने गत रात 16 आइएएस अधिकारियों का विभाग बदल दिया है फिर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अधिसूचित जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में पदस्थापित अपर मुख्य सचिव मस्तराम मीणा को अगले आदेश तक राजस्व पर्षद का सदस्य बनाया गया हे ।

जिनके स्थानान्तरण हुए वे निम्न प्रकार है ।

मस्तराम मीणा स द स्य, राजस्व परिषद

राजेश कुमार शर्मा स चि व , खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।

के. श्रीनिवासन स चि व , ऊर्जा विभाग

मनोज कुमार स चि व , ग्रामीण विकास विभाग ।

विप्रा भाल स चि व , आपदा प्रबंधन विभाग ।

मनोज कुमार प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल

(उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे)।

मुकेश कुमार अ प ने कार्यों के साथ सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का प्रभार।

उमाशंकर सिंह स चि व , महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।

राजीव रंजन स चि व , परिवहन विभाग।

आबू इमरान स चि व , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

संजय कुमार प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

संदीप कुमार सिंह श्रमायुक्त, झारखंड।

घोलप रमेश गोरख ना ग रि क सुरक्षा आयुक्त, झारखंड।

कुमुद सहाय प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर।

रवि रंजन विक्रम प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा ।

शशि रंजन अ प र सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ।

झारसुगुड़ा से फ्लाई ऐश लाकर बेलडीह क्षेत्र की जमीन पर डाला जा रहा - डॉ यादव

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला: झारसुगुड़ा से बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश लाकर राउरकेला के बेलडीह तथा आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से डाले जाने का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्त्ता व आर टी आई एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि ₹बिना किसी वैध अनुमति के ट्रकों व हाइवा के माध्यम से फ्लाई ऐश का परिवहन कर इसे खाली जमीन और खेतीहर भूमि पर उंडेला जा रहा है, जिससे पर्यावरण और कृषि दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।₹

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस गतिविधि के कारण उपजाऊ जमीन धीरे-धीरे बंजर होती जा रही है। फ्लाई ऐश के कारण मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और आसपास के प्राकृतिक जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं। हवा में उड़ने वाली राख से वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में संबंधित एजेंसियों की अनदेखी और मिलीभगत के कारण यह अवैध कार्य लगातार जारी है। उनका कहना है कि मोटी रकम वसूल कर नियमों की अनदेखी करते हुए फ्लाई ऐश का डंपिंग किया जा रहा है, जबकि पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा।

क्षेत्र के लोगों ने ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो खेती, जल स्रोत और पर्यावरण को होने वाला नुकसान गंभीर रूप ले सकता है। प्रशासन से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है।

पी.एस.ई.बी इम्प्लाइज जॉइंट फोरम, एकता मंच और किसान जत्थेबंदियों द्वारा एक विशाल रोष प्रदर्शन

अमृतसर, 12 फरवरी (साहिल बेरी)

इम्प्लाइज फेडरेशन पहलवान पंजाब राज्य बिजली बोर्ड शहरी हल्का अमृतसर की ओर से पी.एस.ई.बी इम्प्लाइज जॉइंट फोरम, एकता मंच और किसान जत्थेबंदियों द्वारा हॉल गेट स्थित पी.एस.पी.सी.एल कार्यालय में एक विशाल रोष प्रदर्शन किया गया।

यह रोष प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा बिजली संशोधन बिल 2025, बीज संशोधन बिल तथा 29 श्रम कानूनों को पारित किए जाने के विरोध में किया गया। जॉइंट फोरम के वक्ताओं ने भावुक लहजे में संबोधित करते हुए कहा कि ये बिल जानबूझकर कर्मचारियों, पेंशनरों, किसानों और मजदूरों को परेशान करने के उद्देश्य से लाए गए हैं।

जनरल सचिव राजिंदर कुमार दत्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को 16% महंगाई भत्ता (डीए) अब तक जारी नहीं किया है। इसके साथ ही 200 रुपये का डेवलपमेंट टैक्स, जो कर्मचारियों और पेंशनरों से वसूला जा रहा है, आज तक बंद नहीं किया गया है।

इस अवसर पर विशेष रूप से पंजाब के उपप्रधान मनोज कुमार महाजन, सीनियर उपप्रधान बॉर्डर जोन परविंदरजीत सिंह और हरिश्वर धीमान, जनरल सचिव राजिंदर कुमार दत्ता, सिटी सर्कल प्रधान सचिव सिंह, चंदन लाल, रवि कुमार, प्रदीप कुमार, दविंदर सिंह, चरणजीत सिंह, पलविंदर सिंह, मनजिंदर सिंह, कुलदीप सिंह, सोहन सिंह, नरेंद्र कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

विश्व बैंक की टीम ने शहर का दौरा कर अमृतसर बल्क वाटर स्पलाई प्रोजेक्ट की प्रगति का लिया जायजा

अमृतसर 12 फरवरी (साहिल बेरी)

शहर में लोगों को निरंतर साफ पानी की स्पालई के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई अमृतसर बल्क वाटर स्पालई स्कीम (ए.बी.डब्लयू.एस.एस) प्रोजेक्ट के काम की प्रगति का जायजा लेने के लिए विश्व बैंक की टीम द्वारा शहर का दौरा किया गया। ज्ञात हो की नगर निगम द्वारा विश्व बैंक और एशियन ऐ.आई.आई.बी के सहयोग से पंजाब म्यूनिसिपल सर्वसिस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसी प्रजोक्ट के अधीन ए.बी.डब्लयू.एस.एस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। जिसके तहत आने वाले समय में अपर बारी दौआब नहर के पानी को साफ करके घर-घर स्पलाई किया जाएगा। जिसके लिए वल्ला के पास 44 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन समर्था वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, शहर में 45 नई पानी की टैंकीयों के निर्माण के साथ-साथ शहर में 112 कि.मी लंबी पाईपलाईन बिछाने का काम का चल रहा है, जिसमें से 95 कि.मी पाईपलाईन बिछाई जा चुकी है। विश्व बैंक से रोजाना निट्टी और श्रीनिवास राव पोड्डीपी रेड्डी द्वारा सौ फुटी रोड, गोलबाग, पुरानी सब्जी मण्डी और एस.एस.पी ऑफिस के पास बन रही पानी की टैंकीयों के साथ-साथ वल्ला में बनाए जा रहे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट दौरा करके निमार्ण की प्रगति का जायजा लिया गया। इसके बाद टीम द्वारा निगम कमिश्नर बिक्रजीत सिहं शेरगिल के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान विश्व बैंक की टीम ने चल रहे काम की गुणवत्ता की सरहाना करते हुए निमार्ण में अपनाए जा रहे मानको पर अपनी सतुंष्टि भी जाहिर की। इस मौके पर निगम कमिश्नर ने बताया कि मजदूरों की कमी को लेकर लार्सन एंड टूब्रों कंपनी को समय-समय पर हिदायते जारी की जा रही है और अब मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। इस अवसर पर कुलदीप सिहं सैनी प्रोजेक्ट मैनेजर, जीतिन वासुदेवा एस.ई प्रोजेक्ट, नरिंदरपाल सिहं, अश्वनी कुमार, आदि भी उपस्थित थे।

काउंसिल ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, सिटी सर्कल अमृतसर की ओर से केंद्र सरकार द्वारा बिजली एक्ट 2025 को जल्द पास करवाने की कोशिश के विरोध में आज देशव्यापी हड़ताल के आह्वान को सफल बनाने हेतु एक दिवसीय हड़ताल हॉल बाजार बिजली घर में की गई।

अमृतसर, 12 फरवरी (साहिल बेरी)

काउंसिल ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, सिटी सर्कल अमृतसर की ओर से केंद्र सरकार द्वारा बिजली एक्ट 2025 को जल्द पास करवाने की कोशिश के विरोध में आज देशव्यापी हड़ताल के आह्वान को सफल बनाने हेतु एक दिवसीय हड़ताल हॉल बाजार बिजली घर में की गई।

साथियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि यह हड़ताल अपनी तथा अपने विभाग की अस्तित्व रक्षा के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिजली एक्ट 2003 को कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के कारण कई वर्षों तक लागू नहीं होने दिया गया था और अब बिजली एक्ट 2025 के माध्यम से विभाग को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। यदि सभी कर्मचारी एकजुट होकर इस एक्ट का विरोध नहीं करते, तो पीएसपीसीएल के निजीकरण का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

नेशनल कोऑर्डिनेटर कमेटी द्वारा दिए गए एक दिवसीय हड़ताल के आह्वान के तहत आज दिनांक 12-02-2026 को हॉल गेट बिजली घर में सिटी सर्कल के सभी जूनियर इंजीनियरों का एकत्रीकरण किया गया। इस अवसर पर इंजीनियर रणजीत सिंह वरियाम (प्रधान), इंजीनियर मनिंदर सिंह भंगू (सचिव), इंजीनियर हरदीप सिंह, इंजीनियर रणबीर सिंह (AAE), लवजीत सिंह (AAE), रमन कुमार, राजीव कुमार, अनुज नरंग, बिमल कुमार, प्रदीप कुमार, रमणदीप, सरूप सिंह, मनीष कुमार, दमनदीप और राम कुमार जई सहित अन्य साथी उपस्थित रहे।

अमृतसर में सीमा पार से संचालित नारको-तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश; 7.6 किलोग्राम हेरोइन, 21 हजार रुपये की ड्रग मनी सहित दो गिरफ्तार

— दुबई-आधारित हैंडलर नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क चला रहा है: सीपी अमृतसर गुरप्रीत भुल्लर*

अमृतसर 12 फरवरी (साहिल बेरी)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित नारको-तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो गुर्गों को 7.6 किलोग्राम हेरोइन और 21,800 रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार करके इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान साहिबप्रीत सिंह उर्फ साहिब (19), निवासी फतेहगढ़ चूड़ियां, बटाला और वर्तमान पता छेहरटा, अमृतसर तथा गगनदीप सिंह उर्फ गगन (26) निवासी गुरु नानकपुरा, कोट खालसा, अमृतसर के रूप में हुई है। दोनों मुलजिम आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट तथा लूटपाट से संबंधित मामले दर्ज हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम वर्चुअल नंबरों के माध्यम से दुबई स्थित एक हैंडलर के संपर्क में थे, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप भेजना सुनिश्चित करता था और पिकअप स्थानों तथा सप्लाई चेन के बारे में निर्देश देता था। उन्होंने बताया कि दुबई स्थित हैंडलर नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क चला रहा है और 43 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से संबंधित एक बड़े एनडीपीएस केस से भी जुड़ा हुआ है।

डीजीपी ने बताया कि इस नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

इस ऑपरेशन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विशेष और विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया और दोनों संदिग्धों को 7.6 किलोग्राम हेरोइन तथा ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर लिया।

सीपी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि दुबई स्थित हैंडलर नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी है।

इस संबंध में, एफआईआर नंबर 29 दिनांक 11.02.2026 को थाना छेहरटा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी, 25 तथा 27-ए के तहत दर्ज की गई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023